# वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया

## समय–संवाद और लोकराग

## (स्मारिका)

# वेब मीडिया समिट 2023

**28–29 अक्टुबर 2023**

पनास वेंक्वेट, सगुना मोड़, पटना

युवा आवास, फ्रेजर रोड, पटना

राजू जी की दूकान पर जाएंगे, मीट चावल खाएंगे......ठीक है!

# चम्पारण मीट हाऊस

विद्यापति मार्ग रोड, तारामंडल के सामने, पटना
मोबाईल नं0 7004537784, 9661966617

- होम डिलेवरी की सुविधा
- डिस्कवरी चौनल से नम्बर 1 पुरस्कार से सम्मानित
- माधुरी दीक्षित से सम्मानित
- केन्द्रीय मंत्री रामकृपाल यादव द्वारा सम्मानित





पूरे पटनाईट्स को मीट का दीवाना
बनाने वाले राजू जी की दूकान

राजू रंजन कुमार सिंह

वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया

समय–संवाद और लोकराग (स्मारिका)
वेब मीडिया समिट 2023
28–29 अक्टूबर 2023
पनास वेंकेट/युवा आवास, पटना

प्रधान संपादक
आनन्द कौशल

संरक्षण, सुझाव एवं मार्गदर्शन
ओमप्रकाश अश्क़, प्रवीण बागी
अमिताभ ओझा, डॉ० माधो सिंह
रजनीशकांत, हर्षवर्द्धन द्विवेदी
एवं आशीष शर्मा ऋषि

संपादक
डॉ० अमित रंजन

सह–संपादक
डॉ० लीना

संपादकीय सहयोग
डा० अमित रंजन, प्राध्यापक (जेपीयू)

संपादकीय सलाहकार मण्डल
निखिल के०डी० वर्मा, मुरली मनोहर श्रीवास्तव, सुरभित दत्त, टी० स्वामीनाथन
मधूप मणि पिक्कू, रमेश पाण्डेय, मनोकामना सिंह, गणपत आर्यन, मंजेश कुमार
अकबर इमाम, जीतेन्द्र सिंह, डा० राजेश अस्थाना, बालकृष्ण, अनूप नारायण सिंह
चंदन कुमार, चन्द्रचूड़ गोस्वामी, पंकज प्रसून, ऋषि शर्मा और संजीव आहूजा

विज्ञापन, व्यवस्था एवं सहयोग
सूरज कुमार, विवेक कुमार, मिथिलेश मिश्रा,
आदित्य झा, कुणाल भगत, संगीता सिन्हा
संजय पाण्डेय, रंजन श्रीवास्तव, धीरज कुमार

## रचना–क्रम


| | | | |
|---|---|---|---|
| | शुभकामना संदेश | | 3-15 |
| 1. | प्रधान संरक्षक की कलम से: | | |
| | तकनीक ने न्यूज़ सम्प्रेषण का समाजीकरण किया | -एन के सिंह | 16 |
| 2. | संरक्षक की कलम से : | | |
| | सोशल मीडिया का प्रभाव | - रजनीकांत पाठक | 17 |
| 3. | अध्यक्षीय उद्बोधन: | | |
| | वेब पत्रकारिता को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाना जरुरी | -आनन्द कौशल | 18-19 |
| 4. | संपादकीय: | | |
| | आयोजन, संगठन और स्वनियमन | - डा0 अमित रंजन | 20-22 |
| 5. | आवरण लेख: | | |
| | डिजिटल मीडिया बढ़ता प्रभाव घटती जिम्मेदारी | - प्रो0 संजय द्विवेदी | 23-24 |
| 6. | Cover Story: | | |
| | An analysis of Intermediary Guidelines | - Kinkar Kumar | 25-26 |
| 7. | आवरण लेख: | | |
| | वेब मीडिया शुरुआती मुश्किलों से गंभीर हैं आज की चुनौतियाँ | - गौतम मोरारका | 27-28 |
| 8. | आवरण लेख: | | |
| | आज पत्रकारिता सवाल नहीं करती खुद सवालों के घेरे में है | - निशांत राज | 29-30 |
| 9. | आवरण लेख: | | |
| | वेब पत्रकारिता ने महिलाओं के लिए खोले संभावनाओं के द्वार | - डा0 लीना | 31-32 |
| 10. | सामरिक/ऐतिहासिक/पर्यटन: | | |
| | विरासतों को जाने समझें | - रवि शंकर उपाध्याय | 33-34 |
| 11. | विरासत: | | |
| | दो सख्शियत | - बाल कृष्ण | 35 |
| 12. | कला: | | |
| | संगीत: उत्पति, विकास एवं रुप | - कंचन बाला | 36-37 |
| 13. | संस्कृति: | | |
| | देव मंदिर और छठ | - डा0 अमित रंजन | 38-39 |
| 14. | संस्कृति: | | |
| | गाली देना अपराध, गाना सम्मान | - उदय नारायण सिंह | 40 |
| 15. | भाषा: | | |
| | भोजपुरी की डिजिटल दुनिया | - मनोज भावुक | 41-42 |
| 16. | आधी आबादी: आत्मनिर्भरता की राह पर भारतीय महिलाएँ | - मुरली मनोहर श्रीवास्तव | 43-44 |
| 17. | सिनेमा: सेंसरबोर्ड | -अनूप नारायण सिंह | 45 |
| 18. | मीडिया: पत्रकारिता की शुरुआत | -मंजेश कुमार | 46-47 |
| 19. | मीडिया: वेब पत्रकारिता | -मनोकामना सिंह | 48 |
| 20. | दैहिक विकृति का जहर उगलता डिजिटल मीडिया | – सूरज कुमार | 49-51 |
| 21. | पत्रकारिता पर अनमोल विचार | - विवेक कुमार | 52 |

CHIEF MINISTER
BIHAR

PATNA
Dated ..20.10.2023..

# Message

It gives me pleasure to know that the Web Journalists' Association of India is organizing Web Media Summit 2023 at Patna on **28-29** October **2023**. A souvenir is also proposed to be published to mark the occasion.

The independent press plays an important role in strengthening the democracy. In the present time when the press is facing a lot of challenges, remaining neutral and bringing the truth before the people becomes even more important. I am confident that the Web Journalists' Association of India will continue to extend its support to the Journalists so they can perform their responsibilities neutrally & effectively. I am sure that this event will prove to be successful in all respects, and those who are attending this will find it highly beneficial. I hope this souvenir will reflect the aspirations of the journalists and prove to be useful to the readers, journalists and all other stakeholders.

On this occasion, I extend my warm greetings and felicitations to the participants, organizers and all those associated with the event and also wish the Web Journalists a bright future. I wish the publication of the souvenir all success.

Nitish Kumar

**(Nitish Kumar)**

**हेमन्त सोरेन**
**मुख्यमंत्री**

## संदेश

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हो रही है कि वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 28–29 अक्टूबर, 2023 को पटना में वेब मीडिया समिट होने जा रहा है ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सोशल मीडिया की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो गई है । ऐसे में वेब मीडिया समिट के आयोजन से मीडिया कर्तव्यों से जुड़े लोगों के लिए यह समिट कर्तव्य पालन के बिंदुओं पर फोकस करने के लिए प्रेरक सिद्ध होगी, ऐसी उम्मीद है ।

मैं, वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित समिट के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह समिट मीडिया में पारदर्शिता लाने में सफलता हासिल करेगा ।

जोहार !

*(हेमन्त सोरेन)*

कांकें रोड, रांची – 834 008 (झारखंड)
दूरभाष : 0651–2280886, 2280996, 2400233 फैक्सः 2280717, 2400232
ई–मेल : chiefminister.jharkhan19@gmail.com

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

अश्विनी कुमार चौबे
Ashwini Kumar Choubey

राज्य मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
भारत सरकार
MINISTER OF STATE
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
GOVERNMENT OF INDIA

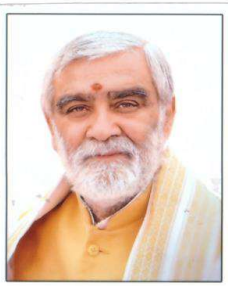

## संदेश

यह प्रसन्नता की बात है कि वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 28–29 अक्टूबर, 2023 की वेब मीडिया समिट 2023 का पटना में आयोजन किया जा रहा है । आज का युग डिजिटल युग है, मिनटों में सात समंदर पार बैठे लोगों से बात हो जाती है । देश दुनिया की सूचनाएं प्राप्त हो जाती है । इसमें वेब मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है । संपूर्ण दुनिया में पत्रकारिता का स्वरूप तेजी से बदला है । ऐसे समय में इसका आयोजन निश्चित तौर पर वेब मीडिया की दशा एवं दिशा को तय करेगा ।

इस मौके पर संस्था द्वारा एक स्मारिका के प्रकाशन की भी योजना बनाई गई है । इस स्मारिका में बिहार के सामरिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक धरोहरों एवं वेब मीडिया तथा आमजन के प्रश्नों के संदर्भ को सम्मानित करना सराहनीय है ।

मैं वेब मीडिया 2023 समिट के सफल आयोजन के लिए श्री आनंद कौशल एवं उनकी टीम को बधाई एवं स्मारिका प्रकाशन हेतु शुभकामनाएं देता हूँ ।

(अश्विनी कुमार चौबे)

**श्री आनंद कौशल**
राष्ट्रीय अध्यक्ष
वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया
जीआईआईटी, डाकबंगला चौराहा,
पटना, बिहार- 800001

**कार्यालय :** 5वां तल, आकाश विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003, दूरभाष: 011-20819418, 011-20819421, फैक्स: 011-20819207, ई-मेल : mos.akc@gov.in
**Office :** 5th Floor, Aakash Wing, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-20819418, 011-20819421, Fax : 011-20819207, E-mail : mos.akc@gov.in
**कार्यालय:** कमरा नं.173, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001, दूरभाष : 011-23380630, फैक्स: 011-23380632
**Office :** Room No. 173, Krishi Bhawan, New Delhi-110001, Tel. : 011-23380630, Fax : 011-23380632
**निवास:** 30, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड़, नई दिल्ली-110003, दूरभाष : 011-23794971, 23017049
**Residence :** 30, Dr. APJ Kalam Road, New Delhi-110003, Tel. : 011-23794971, 23017049

सत्यमेव जयते

# देवेश चन्द्र ठाकुर

बी.ए. (प्रतिष्ठा) फर्गुसन कॉलेज, पुणे
एल.एल.बी., (आई.एल.एस.) पुणे

**सभापति**
**बिहार विधान परिषद्**

पत्रांक .....

दिनांक 09-09-2023

## शुभकामना संदेश

यह प्रसन्नता की बात है कि वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन आफॅ इण्डिया द्वारा दिनांक 28–29 अक्टूबर, 2023 को 'वेब मीडिया समिट, 2023' का पटना में आयोजन किया जा रहा है। स्मारिका में बिहार के सामरिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक धरोहरों एवं वेब मीडिया तथा आम–जन के प्रश्नों के संदर्भ को समाहित करना सराहनीय है ।

मैं 'वेब मीडिया समिट, 2023' के सफल आयोजन की कामना करता हूँ तथा स्मारिका के प्रकाशन हेतु शुभकामना देता हूँ ।

(देवेश चन्द्र ठाकुर)
29/9/2023.

आवास :3, देशरत्न मार्ग, पटना–800001, फोन : 0612–2215819, 2215245 (का.), 2217203 (आ.)
मोबाईल : 9431020000, 9934445000, 9867998679, ई–मेल : chairman-bih@nic.in

**अवध विहारी चौधरी**
अध्यक्ष
बिहार विधान सभा, पटना-15

**AWADH BIHARI CHAUDHARY**
Speaker
Bihar Legislative Assembly, Patna-15

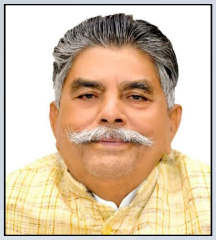

## शुभकामना संदेश

यह जानकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि दिनांक 28-29 अक्टूबर, 2023 को वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा पटना में दो दिवसीय वेब मीडिया समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के नामचीन पत्रकार एवं विभिन्न क्षेत्रों के सुविख्यात व्यक्तियों का जुटान होगा । इस अवसर पर स्मारिका का भी प्रकाशन किया जा रहा है ।

वर्तमान युग में किसी भी देश के विकास एवं लोकतंत्र के संरक्षण-संवर्द्धन में मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है । मीडिया की महती भूमिका को देखते हुए इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है । वर्तमान में वेब मीडिया काफी प्रभावशाली भूमिका में है । वेब मीडिया के संरक्षण एवं वेब मीडिया में पत्रकारिता के उच्चादर्शों के समावेश हेतु स्थापित **'वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया'** वेब पत्रकारिता एवं वेब पत्रकारों के हितों संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है ।

मैं इस समारोह के सफल आयोजन एवं इस अवसर पर प्रकाशित होने वाली स्मारिका के सफल प्रकाशन की मंगलकामना करता हूँ ।

(अवध विहारी चौधरी)

Address : 2, Desh Ratna Marg, Patna-15 Phone No. : 0612- 2217856, 2217082 (O)
Phone No. : 0612-2215232 (R), Fax No. : 0612-2217373 (O) 0612-2215858 (R)
E-mail : mla-siwan-bih@nic.in

# विजेंद्र प्रसाद यादव

मंत्री
ऊर्जा, योजना एवं विकास विभाग
बिहार

कार्यालय : 8, दारोगा प्रसाद राय पथ, पटना–1 (ऊर्जा)
कार्यालय : पुराना सचिवालय, पटना–15 (यो० एवं वि० विभाग)
आवास : 1, नेताजी मार्ग, पटना–15
दुरभाष सं.: 0612–2506224 (ऊर्जा)
0612–22506225 (फैक्स)
0612–2217564 (यो० एवं वि० विभाग)
0612–2205454 (आ०)


Letter No. - 670

Date 05-10-2023

## शुभकामना संदेश

अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा सगुना मोड़, पटना स्थित होटल पनास में दिनांक 28 एवं 29 अक्टूबर 2023 को वेब मीडिया समिट–2023 का आयोजन किया जा रहा है । इस समिट में देश के नामचीन पत्रकार एवं महानुभावगण भाग ले रहे है । इनके बहुमूल्य विचार लोगों तक पहुँचेंगे, जिससे सामाजिक बुराई दूर करने में मदद मिलेगी । मीडिया आज के समय में आम लोगों के लिए जरूरत बन चुका है । वेब मीडिया समिट–2023 के अवसर पर प्रकाशित होने वाली स्मारिका के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ ।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ।

(विजेंद्र प्रसाद यादव)

# संजय कुमार झा

मंत्री
जल संसाधन विभाग
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग
बिहार सरकार, पटना

**Sanjay Kumar Jha**
Minister
Water Resources Department
Information and Public Relations Department
Government of Bihar, Patna


Letter No. - 670

Date 05-10-2023

## शुभकामना संदेश

यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (WJAI) द्वारा बिहार की राजधानी पटना में **'वेब मीडिया समिट 2023'** का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशभर के वरिष्ठ पत्रकारों और विभिन्न क्षेत्रों की नामचीन शख्सियत का जुटान होगा । साथ ही इस अवसर पर एक स्मारिका के प्रकाशन की भी योजना बनाई गई है ।

यह महत्वपूर्ण आयोजन ऐसे समय में हो रहा है, जब देश–दुनिया में पत्रकारिता का स्वरूप तेजी से बदल रहा है । कुछ दशक पहले तक मीडिया का मतलब था अखबार, पत्रिका और रेडियो । बाद में टीवी का युग आया । लेकिन अब लोग अपनी पसंद के कार्यक्रमों और खबरों को देश–दुनिया में कहीं से भी इंटरनेट पर लाइव देख लेते है। इसी के साथ न्यूज वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप पर खबर पढ़ने वालों की संख्या भी निरतंर बढ़ रही है ।

हम सभी जानते हैं कि जनता को जागरूक करने और विचारों को प्रभावित करने में मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है । मीडिया में जो कुछ भी प्रकाशिक या प्रसारित किया जा रहा है, उनका लोगों के दिमाग पर व्यापक असर पड़ता है । ऐसे में यह जरूरी है कि वेब पत्रकार सोशल मीडिया में वायरल हो रही अपुष्ट सूचनाओं एवं भ्रामक तथ्यों को प्रसारित करने की हड़बड़ी न दिखाएं, तथ्यों की पड़ताल पर अपने पाठकों तक सही सूचना पहुँचाएं और भ्रामक सूचनाओं के प्रति उन्हें आगाह करते रहें ।

बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वेब मीडिया को निरंतर यथोचित सम्मान मिला है। वेब मीडिया समिट एक अवसर है, जब वेब पत्रकार साथी आत्ममंथन करें कि डिजिटल क्रांति के मौजूदा दोर में पत्रकारिता की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को कैसे बचा कर रखा जा सकता है, उसे समाज के प्रति और अधिक जिम्मेदार कैसे बनाया जा सकता है ।

इस समिट में शामिल होने के लिए देशभर से आये प्रतिनिधियों एवं गणमान्य जनों का ज्ञान की भूमि बिहार में हार्दिक स्वागत है । मैं समिट और इस अवसर पर प्रकाशित हो रही स्मारिका की शानदार सफलता की कामना करता हूँ और इसके लिए वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारीगण एवं सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ ।

भवदीय

**संजय कुमार झा**


Office : 1st Floor Sinchai Bhawan, Harding Road, 800015 PH : (0612) 2217696, 2215331 Email : wrdministercell@gmail.com
Office : 3rd Floor Suchna Bhawan, Jawahar Lal Nehru Marg (Bailey Road) Patna-800 015 PH : 2215712 Email : minister@prdbihar.gov.in
Residence : 11 Strand Road, Patna - 800001, PH (0612) 2200371

**अशोक चौधरी**
मंत्री
भवन निर्माण विभाग
बिहार सरकार

0612-2547640 (का0)
0612-2217234 (आ0)
0612-2547629 (फैक्स)

आवास :
2, पोलो रोड, पटना

पत्रांक .....

दिनांक 03-10-2023

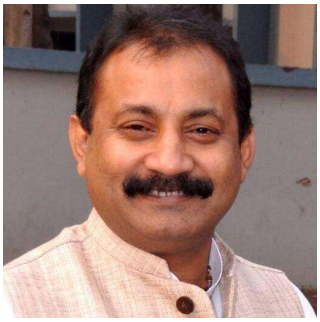

## शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हो रही है कि वेव जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा पटना में 28–29 अक्टूबर 2023 को वेब मीडिया समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के बड़े बड़े पत्रकार, वेब पोर्टलों के पब्लिशर और विभिन्न क्षेत्रों के ख्यात शख्सियतों का महाजुटान होने जा रहा है ।

यह आयोजन संगठन की एक बड़ी सोच है जिससे आधुनिक युग की जरुरत बन चुकी मीडिया के इस नए फॉर्मेट को ज्यादा जनोपयोगी और जिम्मेदार बनाया जा सकेगा ।

मैं इस आयोजन के लिए संगठन को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

**अशोक चौधरी**

कार्यालय–प्रथम तल, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना – 800 015

# मुरारी प्रसाद गौतम

मंत्री
पंचायती राज विभाग
बिहार सरकार

**Murari Prasad Gautam**
MINISTER
Department of Panchayati Raj
Govt. of Bihar


पत्रांक – 1675

दिनांक – 12–10–2023

## शुभकामना संदेश

जय जानकर प्रसन्नता के साथ–साथ हर्ष भी हो रहा है कि आपकी संस्था ''वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया'' द्वारा पटना में 28–29 अक्टूबर 2023 को ''वेब मीडिया समिट'' का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश के ख्यातिप्राप्त पत्रकार वेब पोर्टल्स के पब्लिशर और विभिन्न क्षेत्रों के ख्यात् शख्सियतों का भी आगमन होने जा रहा है ।

इस प्रकार का आयोजन संगठन की एक बड़ी और दूरगामी सोच का परिचायक है । निश्चय ही ऐसे आयोजनों से आधुनिक युग की जरुरत बन चुकी मीडिया के इस नये फार्मेट को ज्यादा जनोपयोगी और जिम्मेदार बनाया जा सकेगा जिससे प्रदेश के साथ–साथ जनमानस को भी इसका लाभ मिल पाएगा ।

मैं इस महती आयोजन के लिए संगठन को अपनी शुभकामनाएँ सम्प्रेषित करता हूँ साथ ही मेरी यह भी शुभेच्छा है कि यह आयोजन इस दूरगामी कदम के पथ में एक मील का पत्थर साबित हो ।

(मुरारी प्रसाद गौतम)


आवास : 12, सर्कुलर रोड, पटना–800001, मो० – 9771534737
email : ministerprdbihar@gmail.com

**शीला कुमारी**
मंत्री
परिवहन विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार

कार्यालय :–
विश्वेश्वरैया भवन,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड)
पटना – 800 015
दूरभाष : 0612–2547346 (का०)
: 0612–2215575 (आ०)
मो० : 6202751001

पत्रांक : 436/आ० का०

दिनांक : 20/10/2023

## शुभकामना संदेश

वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (WAJI) द्वारा बिहार की राजधानी पटना में 28–29 अक्टूबर, 2023 को वेब मीडिया समिट, 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन से वेब–पत्रकारिता, आम लोगों एवं समाज के प्रति उच्च नैतिक आदर्शों को प्राप्त करने की दिशा में नये आयाम गढेगी। इस अवसर पर बिहार के ऐतिहासिक पुरातात्विक सांस्कृतिक धरोहरो, वेब मीडिया और आम आदमी के सवालों को लेकर एक स्मारिका का प्रकाशन करने जा रही है। इस संस्था के द्वारा यह अच्छी पहल है। इससे बिहार के इन ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहरों, के संबंध में आमजनों की जानकारी बढेगी और साथ ही देश के पटल पर बिहार के इन धरोहरों के संबंध में लोगों का आकर्षण भी बढेगा।

मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएँ देती हूँ।

शीला कुमारी 20.10.23
(शीला कुमारी)

**सुमित कुमार सिंह**
मंत्री
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार

कार्यालय :
प्रथम तल, टैक्नोलॉजी भवन,
नेहरू पथ (बेली रोड), पटना-800015
: 9431017018 (मो०)
: 0612-2547154 (का०)
: 0612-2547054 (फैक्स)

पत्रांक : 316 (आप्त)

दिनांक 19-10-2023

## शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हो रही है कि वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा पटना में 28–29 अक्टुबर को वेब मीडिया समिट का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश के बड़े–बड़े पत्रकार एवं संपादकों वेब पोर्टल एवं डिजिटल मिडिया के पब्लिशर और विभिन्न क्षेत्रों की ख्याति प्राप्त शख्सियतों के द्वारा भाग लिया जाना है।

यह आयोजन संगठन की एक बड़ी सोच है जिससे आधुनिक युग की जरुरत बन चुकी मीडिया के इस नये फार्मेट को ज्यादा जनोपयोगी और जिम्मेदार बनाया जा सकेगा।

मैं इस महती आयोजन के लिए संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव एवं स्मारिका से जुड़े हुए सम्पादक तथा सभी पत्रकार बन्धुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हुँ।

(सुमित कुमार सिंह)

डॉ0 रामानन्द यादव
मंत्री
खान एवं भूतत्व विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार

कार्यालय
विकास भवन,
नया सचिवालय, बेली रोड, पटना।
कमरा सं0– 59, 60, 61

पत्रांक– 244

दिनांक– 20/10/23

## शुभकामना संदेश

यह हर्ष का विषय है कि वेव जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के तत्वाधान में बिहार की राजधानी पटना में वेब मिडिया–2023 सम्मिट आयोजित की जा रही है। इस डिजिटल युग में वेब न्यूज पोर्टल का अत्यधिक महत्व है और यह पत्रकारिता के क्षेत्र एवं प्रभाव को काफी विस्तार दे रहा है। यह आयोजन इसकी लोकप्रियता को और बढ़ाएगा।

इस मौके पर एक स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है जो कि एक सराहनीय प्रयास है। मैं वेब मिडिया–2023 सम्मिट के सफल आयोजन एवं स्मारिका प्रकाशन हेतु आयोजन समिति को शुभकामनाऐं देता हूँ।

रामानन्द
20/10/23

(डा0 रामानन्द यादव)

श्री आनन्द कौशल
राष्ट्रीय अध्यक्ष
वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इण्डिया
जी आई आई टी, डाक बंगला चौराहा,
पटना, बिहार– 800001

दूरभाष संख्या–0612–2215591 (कार्यालय), 0612–2215592 (फैक्स)

**आलोक कुमार मेहता**
**मंत्री**
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार

कार्यालय : मुख्य सचिवालय, पटना–15
दूरभाष : 0612–2217355
फैक्स : 0612–2215159
ईमेल : revenueminister.bihar@gmail.com
आवास : 12, सरदार पटेल पथ, पटना–1
दूरभाष : 0612–2215745, 2999102

पत्रांक .....

दिनांक 21/10/2023

## —: शुभकामना संदेश :—

यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा पटना में **28–29 अक्टूबर, 2023** को **वेब मीडिया समिट, 2023** का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इस अवसर पर संस्था द्वारा **''स्मारिका''** का प्रकाशन किया जा रहा है।

उक्त **वेब मीडिया समिट, 2023** के सफल आयोजन एवं **''स्मारिका''** के सफल प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आलोक कुमार मेहता

**( आलोक कुमार मेहता )**

सेवा में,

Sri Anand Kaushal
National President
Web Journalists' Association of India

**जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल'**
**संसद सदस्य ( लोक सभा )**
19 महाराजगंज, बिहार
**सदस्य स्थायी समिति**
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं विशेषाधिकार
**सदस्य परामर्शदात्री समिति**
इस्पात
मो०- 09013869977, 09431216682
ई.मेल:- janardansingh.sigriwal@sansad.nic.in

सत्यमेव जयते

**Janardan Singh 'Sigriwal'**
**Member of Parliament (Lok Sabha)**
19 Maharajganj, Bihar
**Member Standing Committee**
Petroleum and Natural Gas & Privileges
**Member Consultative Committee**
Steel
Mob. : 09013869977, 09431216682
E-mail : janardansingh.sigriwal@sansad.nic.in

**पत्रांक .....** **दिनांक .....**

## शुभकामना संदेश

प्रिय डॉ० अमितरंजन जी,

यह अत्यंत ही हर्षदायक है कि वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा वेब मीडिया समिट 2023 के आयोजन के अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है । इस स्मारिका के माध्यम से बिहार के सामरिक, एतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक धरोहरों एवं वेब मीडिया और आम आदमी के सवालों को प्रकाशित करना अपने–आप में एक अनोखा सामाजिक कार्य होगा । इससे बिहार के हर स्तर से लोगों का विशेषकर युवायों का ज्ञानवर्धन होगा तथा प्रकाशित सवालों के समाधान में सबका सहयोग मिलेगा । स्मारिका प्रकाशन का यह प्रयास बहुत ही प्रसंशनीय है ।

अतः अंत में, मैं आपको तथा स्मारिका प्रकाशन से जुड़े हर व्यक्तियों को स्मारिका प्रकाशन के इस सराहनीय कार्य के लिए ह्रदय के गहराइयों से शुभकामनायें देता हूँ । साथ ही आशान्वित हूँ कि स्मारिका आपके संस्था का जन्मना उदेश्यों को भी पूर्ण करने में सहयोग करेगी ।

सधन्यवाद ।

**जनार्दन सिंह ''सीग्रीवाल''**

क्षेत्रिय आवास : मिश्रवलिया टोला, जलालपुर बजार, छपरा (सारण) बिहार, फोन : 06155–268111
दिल्ली आवास : C-1/19, पंडारा पार्क, नई दिल्ली, फोन : 011–23072620

**प्रो० (डॉ०) वीरेन्द्र नारायण यादव**
सदस्य
बिहार विधान परिषद (जदयू)
सारण स्नातक क्षेत्र

पटना आवास :–
बिहार विधान परिषद्, आवासीय परिसर,
आर ब्लॉक, पटना आवास सं०– 01
छपरा आवास :–
महमूद चौक, दहियावाँ, छपरा
पिन–841301 सारण
सम्पर्क–06152–232914, 9431216822

पत्रांक .....

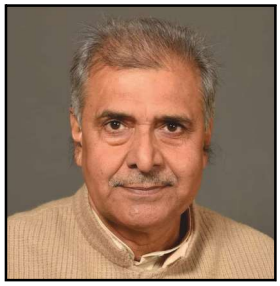

दिनांक 18–10–2023

## शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा 28 एवं 29 अक्टूबर 2023 को पटना में **वेब मीडिया समिट 2023** का आयोजन किया गया है । पत्रकारिता अपने कठिन एवं विवादास्पद समय से गुजर रही है । पूरी पत्रकारिता पर विश्वसनीयता का प्रश्न–चह्न खड़ा है । ऐसे समय में वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारो को एकत्रित कर संवाद करना अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्य है । राष्ट्रीय संस्कृति का प्राण है – लोकतंत्र । लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में पत्रकारों की अहम भूमिका निर्विवाद रूप से सिद्ध है । अगर पत्रकारिता/पत्रकार पूँजी के बहाव में बह गये तो राष्ट्रीय क्षति होगी जिसकी भरपाई करना मुश्किल है ।

इस सम्मेलन को मेरी शुभकामना है ।

प्रो0 (डॉ0) वीरेन्द्र नारायण यादव
सदस्य, बिहार विधान परिषद्

**प्रभाकर,** भा.प्र.से.
प्रबंध निदेशक
**Prabhakar,** I.A.S.
Managing Director

COMFED

BIHAR STATE MILK CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.
Dairy Development Complex,
P.O. : Bihar Veterinary College, Patna - 800 014
Tel. : 0612-2227451, Fax : 0612-2224017
Mob. : 09471000431, E-mail : md@sudha.coop

D.O. No.: .....

Date : 19-10-2023

## शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर अतिप्रसन्नता हो रही है कि वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा पटना में 28–29 अक्टूबर को वेब मीडिया समिट का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश के बड़े–बड़े पत्रकार, वेब पोर्टलों के पब्लिशर और विभिन्न क्षेत्रों के ख्यातिप्राप्त व्यक्ति भाग लेंगे । मुझे आशा है कि यह आयोजन आधुनिक युग की जरूरत बन चुकी मीडिया के इस नये फार्मेट को ज्यादा जनोपयोगी और जिम्मेदार बनाएगी ।

मैं इस महती आयोजन के लिए संगठन को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ ।

18/10/23
प्रबंध निदेशक

Sudha

पंजीयन संख्या :– 56/106/2014
निर्वाचन आयोग, भारत सरकार

# आम जनता पार्टी राष्ट्रीय

घरौंदा कम्प्लेक्स, आठवाँ तल्ला, जगदेव पथ मोड़, बेली रोड, खाजपुरा, पटना, बिहार – 800014
Email ID :- ajprho@gmail.com Cont. : 9431017392

## शुभकामना संदेश

हर्ष का विषय है कि वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया की एक बैठक पटना बिहार के पावन धरती पर 28 – 29 अक्टूबर 2023 को आहुत की गयी है । इस अवसर पर संस्था द्वारा स्मारिका का विमोचन भी किया जाना इस अवसर को और भी ज्यादा स्वर्णिम और यादगार बनायेगा । आपके द्वारा इस तरह का आयोजन आपकी कर्मठता को दर्शाता है साथ ही साथ मुझे ऐसा विश्वास है कि आयोजन में वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा पत्रकारिता में सुचिता लाना, जनता में विश्वास पैदा करना और कही न कही कुछ ऐसे वेब चैनलों द्वारा जो इस माध्यम का गलत इस्तेमाल कर रहे है और अफवाह फैलाने का काम कर रहे है, आपके इस आयोजन से उम्मीद करता हूँ कि आप उक्त बिन्दु पर सुधार की दिशा में पहल करेंगे । मैं वेब मीडिया 2023 के सफल आयोजन एवं स्मारिका के विमोचन के लिए समस्त वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आनंद कौशल को धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ ।

विद्यापति चन्द्रवंशी
राष्ट्रीय अध्यक्ष

# प्रधान संरक्षक की कलम से :

## तकनीकी ने न्यूज सम्प्रेषण का सामाजीकरण किया, हमें बेहतर नैतिक मूल्यों के साथ जनोपादेय होना है

– एन0 के0 सिंह
वरिष्ठ संपादक
प्रधान संरक्षक, वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया

वह समय चला गया जब खबरों का सम्प्रेषण (खासकर 1996–2015 के काल खंड में) टीवी चैनलों की मोनोपॉली हो गई थी और बगैर सैकड़ों करोड़ की लागत से एक तथाकथित ''राष्ट्रीय'' चैनल चलना संभव नहीं था । यह वो दौर था जब समाचार को महज लोगों के घर पहुँचाने में, याने "कैरिंग कॉस्ट" के रूप में 50–100 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते थे। इसका नतीजा यह होता था कि मालिक अपने कुल बजट का न्यूज के मद में मात्र 10 प्रतिशत खर्च करते थे और केबल/डीटीएच प्लेटफॉर्म्स पर 60 प्रतिशत टेक्नॉलॉजी बदली। आज सड़क पर खड़ा आम आदमी भी अपने मोबाइल से वीडियो बना कर सोशल मीडिया में अपलोड कर देता है और अगले पाँच मिनट में वह वायरल हो जाता है. याने लब्बो–लुआब यह कि न्यूज सम्प्रेषण का सामाजीकरण हो गया है.

फिर ऐसे में हमारी याने वेब जर्नलिस्ट्स की भूमिका क्या है और रहेगी? आखिर कुछ तो अन्तर होगा हममें और उस व्यक्ति में जो मछली पकड़ने के नए तरीके या बगैर तेल अंडा तलने का तरीका बता कर 12 मिलियन की व्यूअरशिप ले लेता है और ऐसी तरकीबों से लाखों रुपये कमाता है। हमें क्यों देखे व्यूअर? इसका जबाव हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखने पर मिलेगा। समाज में बहुत कुछ हो रहा है जो भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। आर्थिक नीतियाँ गरीब–अमीर की खाई बढ़ाने वाली हैं। देश की जीडीपी २.७३ ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है और भारत इस पैमाने पर पांचवें स्थान पर आ गया है लेकिन मानव विकास सूचकांक पर वह पिछले 32 वर्षों से 131–135 स्थान पर ही लटका है। नीतिगत खबरों के अलावा हमारे सरोकार उन खबरों से भी है जिनसे 'गोदान' के गोबर और झुनिया की तकदीर बदलती–बिगड़ती है। विकास के फंड्स क्या वास्तव में अंतिम लाभुक तक पहुँच रहे हैं? शिक्षा के मद में आने वाला पैसा कहीं राज्य और जिलों के शिक्षा विभाग और स्कूल के हेडमास्टर की बंदरबांट की भेट तो नहीं चढ़ गए? खाद सही दर पर मिली या नहीं या कलेक्टर/एसपी ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भ्रष्टाचार की चेरी तो नहीं बना दिया ताकि "होरी" नकली शराब पी कर मरता रहे बावजूद इसके कि शराबबंदी अपने आप में किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर समाज के बहुआयामी कल्याण के लिए राज्य–नीत क्रांतिकारी नीति है।

यही पर अपने वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूजेएआई) के सदस्यों की अहम् भूमिका आती है। सस्ता मीडियम है और लालच है अंडा तलने की विधि से पैसा बनाना या फिर अपनी समुन्नत उपादेयता बना कर समाज से सम्मान हासिल करना और इस प्रक्रिया में सामान्य ढंग से अर्थोपार्जन भी करना। पैसा भड़ैती में ज्यादा है पर समाज में इज्जत के साथ आजीविका सुनिश्चित करना पत्रकारिता का नाम है. चुनाव हमें करना होगा। इस मार्ग में अड़चन आयेगी क्योंकि हम टीवी चैनलों के मालिकों की तरह केंद्र या राज्य की राजधानियों में नहीं बैठे हैं और सत्ता के साथ के अलिखित गठजोड़ भी नहीं है। हम जिलों और ब्लॉक्स में हैं जहां एक अदना सा अपराधी या शराब वेंडर भी पुलिस के साथ नाभि–नाल बद्धता का रिश्ता रखता है। जिले की अफसरशाही एक सामान्य एमएलए से भी दबती है। ऐसे में हमारे लिए पत्रकारीय दायित्व एक बड़ी चुनौती है। सत्ता आदतन अपरिहार्य रुप से सच बताने वाले के खिलाफ अपने शिकारी तंतु (प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट्स) खोलने के लिए जानी जाती है। यहीं पर हमारी संस्था की भूमिका आती है। हम सब को मिल कर इसका मुकाबला करना होगा "संघे–शक्ति" की भावना से। लेकिन हमें अपने नैतिक दायित्व को भी पहचानना होगा। क्या जो समाचार समाज तक हम दे रहे हैं वे जनोपादेय है या केवल जनोत्सुकता को सहलाने वाला है? दूसरे की व्यूअरशिप है लिहाजा पैसा है. लेकिन चुनाव हमें करना है. बलात्कार की खबर विस्तृत व्योरे के साथ देने से हिट्स ज्यादा मिलेंगें और गूगल से पैसे भी, लेकिन अगर हम उस बलात्कार की बढ़ती प्रवृत्ति के उद्गम पर जाएँ तो उसका कारण किशोरों के हाथ में मोबाइल और उसमें पोर्न्स की सहज सुलभता इसके मूल में मिलेगा। किशोर वय, शराब और साथ में उत्प्रेरक के रूप में मोबाइल में पोर्न ये तीन एक डेडली कॉम्बिनेशन हैं समाज में विकृति फैलाने के लिए। हमें इस पर चोट करनी होगी ताकि किशोरावस्था जिसे (इम्प्रैशनेबल माइंड) कहते हैं बर्बाद होने से बचा सकें. हमने एसोसिएशन के सदस्यों के लिए कुछ "डूज एंड डोंट्स" बनाये हैं और पिछले कई वर्षों से इस प्रोफेशनल–नैतिक मानदंड का अनुपालन भी कर रहे हैं। आज फिर एक बार उन मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए पत्रकारिता के नए डिजिटल दौर में अपनी उपादेयता को साबित करने के लिए कटिबद्ध हों.

# संरक्षक की कलम से :

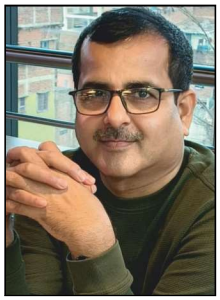

## आज के दौर में सोशल मीडिया का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव

– रजनीकांत पाठक
संरक्षक, WJAI
सीएमडी, राम जानकी फिल्मस्

आज के महौल को देखकर कई बार हम सोच में पड़ जाते हैं कि सोशल मीडिया हमारे लिए वरदान है या फिर अभिशाप। इंटरनेट का यह जाल जिसमें हम फंसते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो यही जाल हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है। एक जगह पर बैठे–बैठे हमें देश–दुनिया की सारी जानकारी अलग–अलग भाषाओं में मिल जाती है। जो ज्ञान हम स्कूल कॉलेज में नहीं ले सकते वो जानकारी भी हमें सोशल मीडिया से मिल जाती है, लेकिन कई बार इस आभाषी दुनिया से लोगों का नुकसान होते हुए भी देखा गया है। पहले जब लोग नींद से जागते थे तो भगवान का नाम लेते थे। अभी लोगों की आंखे खुलती है तो पहली नजर मोबाइल पर ही जाती है और मोबाइल ऑन करने के बाद वो सोशल मीडिया का अपडेट पहले देखते हैं।

अभी के दौर में देखा जाए तो सोशल मीडिया बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ एक आभाषी दुनिया है। इसका विस्तार विश्व के हर कोने में देखने को मिलता है। बाकी के प्लेटफॉर्म की तुलना में देखा जाए तो सोशल मीडिया सबसे ज्यादा डेवलप है और इस वजह से सोशल मीडिया पर लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आज के दौर में हम सोशल मीडिया के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है सोशल मीडिया।

सोशल मीडिया द्वारा हम दुनिया में मौजूद किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकते है। पहले हम सिर्फ मैसेज से लोगों से जुड़ सकते थे अब तो हम वीडियो कॉल से भी अपने दूर बैठे सगे संबंधियों से बात कर सकते हैं, उनसे हाल–समाचार पूछ सकते हैं।

इसके साथ ही कई बार छोटे–छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप को भी सोशल मीडिया द्वारा प्रोत्साहन मिलता है। समसामयिक विषयों की जानकारी और जागरुकता फैलाने में भी सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ ही इसके नुकसान भी हैं। इसका काफी दुष्प्रभाव हमारे युवा वर्ग पर पड़ रहा है। वे अपने लक्ष्य को भूल सोशल मीडिया की गिरफ्त में जाते दिख रहे हैं।

**सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभावः–**

- सोशल मीडिया पर जुड़े रहकर हम नए दोस्त ढूँढ सकते हैं और समान विचारधारा वाले लोगों के साथ जुड़ सकते हैं।
- हम पहले से मौजूद रिश्तों को पोषित कर सकते हैं।
- जल्द से जल्द जानकारी पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एक बेहतरीन स्रोत है।
- हम अपने उन दोस्तों और परिवार के संपर्क में रह सकते हैं जो हमसे बहुत दूर हैं।
- सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के वंचित नागरिक एक सशक्त आवाज उठा सकते हैं।
- इसके माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचना और अपनी बात सामने रखना आसान है।
- सोशल मीडिया पर अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करके, हम एक–दूसरे के साथ सहानुभूति रखना और जुड़ना सीखते हैं।
- अगर आप बोर ओ रहे हैं तो सोशल मीडिया बोरियत से बचने और दिमाग को तरोताजा करने में सक्षम है।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम किसी भी सामाजिक कारण और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं।
- सोशल मीडिया कई लोगों के लिए आय का एक बड़ा स्रोत हो सकता है।
- सोशल मीडिया ने कक्षाओं, सम्मेलनों आदि के दौरान जूम मीटिंग, गूगल क्लासरूम आदि के माध्यम से जुड़कर शिक्षार्थियों और सलाहकारों को नया जीवन दिया है।

**सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव :**

- सोशल मीडिया एक नशे की तरह है।
- सोशल मीडिया के विकास के बाद लोगों की निर्भरता स्क्रीन पर ज्यादा बढ़ गई है।
- सोशल मीडिया आत्म–छवि को नुकसान पहुंचा सकता है।
- महामारी और अन्य आपदाओं की झूठी और निराधार खबरे समाज को भयभीत करती हैं और बहुत सारी गलत सूचनाएँ फैलाती हैं और इसलिए कई बार समाज के प्रति नकारात्मक योगदान देती हैं।
- सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग का खतरा बढ़ गया है।
- हाल के वर्षों में किशोरों पर पड़े भयावह प्रभावों के कारण साइबर बदमाशी एक बढ़ती चिंता का विषय है।
- छात्र और किशोर सोशल नेटवर्किंग साइटों पर बहुत समय बर्बाद करते हैं, जिससे वे अपनी पढ़ाई पर कम ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन गेम खेलना, अश्लील वीडियो और लेख पढ़ना आदि बच्चों को उनके वास्तविक लक्ष्यों जैसे शिक्षा, परिवार, दोस्तों आदि से विचलित कर देता है।
- कई बार सोशल मीडिया अवसाद और चिंता का मूल कारण भी बन सकता है।
- सोशल मीडिया साइबर क्राइम को भी बढ़ावा देता है, कई युवा और बुजुर्ग सोशल मीडिया के चक्कर में लाखो गंवा चुके हैं।

# अध्यक्षीय उद्बोधन : वेब पत्रकारिता को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाना जरूरी

**– आनंद कौशल**
वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और मीडिया स्ट्रैटजिस्ट
राष्ट्रीय अध्यक्ष, वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

वेब मीडिया पिछले दो दशकों में पत्रकारिता का महत्वपूर्ण स्वरूप बनकर उभरा है। अब इसे भविष्य की पत्रकारिता कहें तो कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले पत्रकार खासकर हिंदी भाषियों के लिए वेब मीडिया का वर्तमान स्वरूप काफी संभावनाओं से भरा है। वेब पत्रकारिता आज अपने शैशवावस्था से बाहर निकलकर अपने युवावस्था में पहुँच चुका है। ऑनलाइन जर्नलिज्म में बड़ी संख्या में गैर प्रशिक्षित लोगों के आगमन से पत्रकारिता अब सूचना और विचार से आगे बढ़कर इंटरटेनमेंट का स्वरूप लेती जा रही है। वेब पत्रकारिता में पत्रकारिता के मूल्य, सिद्धांत जैसी बातें कुछ हद तक किताबी हो जाती हैं। जब हम डिजिटल मीडिया की चर्चा करते हैं तो इसमें सॉफ्टवेयर, डिजिटल इमेज, डिजिटल वीडियो, वेब पेज और वेबसाइट, सोशल मीडिया, डिजिटल डेटा और डेटाबेस, डिजिटल ऑडियो जैसे एमपी3, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक किताबें शामिल होती हैं लेकिन वर्तमान पत्रकारिता की बात करें तो वेब मीडिया इसका सबसे बेहतर स्वरूप है। वेब मीडिया को ही पत्रकारिता के वर्तमान स्वरूप में सबसे तेज सूचनादाता के रूप में जाना जा रहा है। इससे दृश्य एवं प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है। खबरें बहुत तीव्र गति से पहुँचाई जाती हैं और इससे न केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन होता है बल्कि खबरों की खबर के रुप में यह बैकअप भी प्रदान करता है।

**वेब पत्रकारिता का इतिहास और वर्तमान...**

बेव पत्रकारिता की शुरुआत 1990 के आसपास मानी जा सकता है लेकिन कुछ जगहों पर इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास को 1980 के समय से ही दिखाया जाता है। पहला दौर 1980–90 के बीच का था जब दुनिया भर में इंटरनेट एडीशन्स लॉन्च किए गए। दूसरे दौर को 1990 से 2000 के बीच का माना जा सकता है और तीसरा दौर 2000 से अबतक का है। पहले दौर में केवल प्रयोग के तौर पर इस पत्रकारिता के स्वरूप को जाँचा–परखा गया। दूसरे स्वरूप में पूरी दुनिया से बाहर निकलता हुआ ई–जर्नलिज्म हमारे देश तक पहुंचा और तीसरा और वर्तमान स्वरूप यही है जहाँ हम आज इसपर चर्चा कर रहे हैं। दूसरे दौर में दुनिया की तमाम दिग्गज मीडिया कंपनियों एवं संस्थानों ने अपने एडीशन को इंटरनेट के माध्यम से जारी किया। वह चाहे 'न्यूयार्क टाईम्स' हो, 'वाशिंगटनं पोस्ट' हो 'सीएनएन' हो अथवा बीबीसी। इसके बाद यह न्यू मीडिया बनकर पूरी दुनिया में छा गया। वेबसाईट संस्करणों का प्रवाह बढ़ता गया। भारत इस दौर में भी तेजी से उभरा और कई नामी प्रिंट मीडिया के संस्करण इंटरनेट के माध्यम से आने लगे। टीवी चैनल भी इस प्रवाह के सारथी बने और उन्होंने भी अपने डिजिटल संस्करण और वेब वर्जन लॉन्च किए। आज के दौर में टीवी और प्रिंट मीडिया इसके बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं लेकिन गूगल और सस्ते इंटरनेट की सुविधा ने इसके प्रवाह को सामान्य जनमानस तक भी पहुँचा दिया है। आज हर एक व्यक्ति के हाथ में स्मार्ट फोन है और हर एक व्यक्ति वेब पत्रकार है जिसे अपनी खबरें दिखाने के लिए खुद ही खबरें बनानी पड़ती हैं, वेब माध्यमों पर लगानी पड़ती हैं और इसके प्रसार एवं रेवेन्यु पर काम करना पड़ता है।वे खबरों के खिलाड़ी भी हैं तो खबरों के व्यापारी भी। देश में 140 करोड़ की ज्यादा आबादी में से 116 करोड़ से ज्यादा मोबाइल धारक हैं। इनमें से 90 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन्स हैं। 'इंटरनेट इन इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 75.9 करोड़ हैं। अब इसे आसानी से समझ सकते हैं कि करीब आधी आबादी इंटरनेट यूजर्स है और आने वाले वक्त में इनकी संख्या बढ़कर 100 करोड़ के आसपास हो जाएगी। सीधे तौर पर कहें तो प्रिंट और टीवी मीडिया से बहुत आगे निकलकर अब मोबाइल जर्नलिज्म का जमाना आ गया है।

**वेब पत्रकारिता अन्य माध्यमों की तुलना में विशिष्ट कैसे?**

वेब पत्रकारिता आज समय की माँग है। टीवी, प्रिंट या रेडियो जैसे माध्यम समय के साथ बदल रहे हैं। प्रिंट यानी अखबार पढ़ने वालों की संख्या में लगातार आ रही गिरावट से इस बात को बल मिलता है कि प्रिंट मीडिया बदलते समय के साथ खुद को आगे नहीं रख पा रही है। प्रिंट मीडिया भले ही विश्वसनीयता के मामले में सबसे बेहतर हो और आज भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में या कीमती यादों के रुप में आप इसे सहेज कर रख सकते हैं लेकिन जमाना जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसमें प्रिंट मीडिया के लिए मुकाबला कठिन

होता जा रहा है। प्रिंट अखबारों के डिजिटल संस्करण या उनकी वेबसाईट पाठकों को बांधने का प्रयास कर रही हैं और अब तेजी से प्रिंट मीडिया इंटरनेट की पत्रकारिता की तरफ कदम बढ़ा रही है। इंटरनेट पर हम रोजाना 2.8 बिलियन पेज सर्च करते हैं। अर्थात दुनिया की इतनी बड़ी आबादी के पास इंटरनेट की मौजूदगी से व्यक्ति चौबीसों घंटे सूचनाओं से अपडेट रहता है। अखबारों को पढ़ने की बेचैनियाँ खत्म हो रही हैं क्योंकि प्रिंट मीडिया के मुकाबले खबरें तुरंत पढ़ने को मिल रही हैं। यही स्थिति टीवी और रेडियो के साथ भी देखने को मिल रही है। जहाँ पहले कहा जाता था कि मन–मस्तिष्क पर दृश्य माध्यमों का प्रभाव कई गुणा पड़ता है वहीं अब टीवी पर खबरों से ज्यादा होने वाली परिचर्चाएं, वाद–विवाद और राजनीतिक खबरों के शोर में आम जनजीवन की खबरें दम तोड़ रही हैं और नतीजा लोग वेब पत्रकारिता की ओर मुखातिब हो रहे हैं। टीवी पत्रकारिता भी वेब का सहारा ले रही हैं और आज सभी महत्वपूर्ण टीवी चैनलों के वेब पेज मौजूद हैं जिससे सूचनाएं तेजी से मिल रही हैं। इन तमाम चीजों के अलावा इंटरनेट या वेब पत्रकारिता का तेजी से बढ़ने का एक कारण यह भी है कि इसे चलाने वाला अब एक सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है जिसे ना तो अपनी कंपनी बनानी होती है और ना ही नियम कानूनों के उलझनों से गुजरना पड़ता है। उसे ना तो बहुत पूँजी की आवश्यकता होती है और ना ही किसी साथी की। वो बस मूल स्वरूप में पत्रकारिता करता है। वो अपने खबरों के चयन में स्वतंत्र होता है और खबरों को लेकर अपनी लेखनी की भी मर्यादा तय कर सकता है। वेब पत्रकारिता समय की मांग के साथ ही प्रिंट और टीवी की जटिल चिंताओं एवं उसकी सीमाओं से परे है।

**वेब पत्रकारिता को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने की जरूरत...**

जब आप स्वतंत्र होते हैं, अपनी मर्यादाएं और सीमाएं खुद तय करने लगते हैं तो आप पर उत्तरदायी होने का सवाल भी उठने लगता है। मीडिया और बाजार के नाजुक रिश्ते को समझने से पहले चंद सच को स्वीकार भी करके चलना होगा। मीडिया समाज का चौथा स्तम्भ होने के साथ–साथ एक व्यवसाय भी है। मीडिया में खासकर वेब मीडिया में ऐसे लोगों का आगमन हुआ है जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं। वेब पत्रकारिता करने वाले लोगों के पास साधन का अभाव है। वो खुद ही अपनी कंपनी के मालिक हैं और खुद ही कर्मी। इस स्थिति में उनके सामने पत्रकारिता के मूल्यों को बचाने की बड़ी चुनौती है। वो चाहें तो पेड न्यूज करें या खबरों को बाजार के अनुसार तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत करें। कई लोग किसी के पक्ष या विपक्ष में खबरों का संप्रेषण करें और इससे व्यक्तिगत लाभ कमाएं। इन खतरों के बीच वेब पत्रकारों के ऊपर कई बार फेक न्यूज फैलाने के आरोप भी लगते रहते हैं। अगर देखा जाए तो फेक न्यूज, पेड न्यूज की तुलना में ज्यादा खतरनाक हैं। आप पेड न्यूज चलाकर अपना आर्थिक पक्ष मजबूत कर सकते हैं लेकिन फेक न्यूज चलाकर सबकुछ बर्बाद कर सकते हैं। फेक न्यूज किसी मंशा से फैलाई गई वो सूचना है जिससे व्यक्ति अथवा संस्था की मर्यादा भंग हो सकती है। समाज में फैले ऐसे लोग हर वक्त अपनी मंशा पूरी करने में लगे रहते हैं जिससे सामाजिक ताना–बाना प्रभावित होता है। हम अपने अंदर की पत्रकारिता को जिंदा रखें या अपने अंदर के शैतान को ये सबकुछ आप पर निर्भर करता है।

**वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (WJAI) जैसी संस्था का जन्म...**

बिहार सहित पूरे देश में वेब पत्रकारिता को जिंदा और मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसी संस्था का जन्म हुआ है जिसका अपना स्वनियमन है। देश में सबसे ज्यादा सदस्य पोर्टलों के साथ यह संस्था पूरे देश में अपनी जड़ें जमा चुका है। इसकी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी 'वेब जर्नलिस्ट्स स्टैंडर्ड ऑथिरिटी' सदस्य वेब पोर्टलों की लक्ष्मण रेखा तय करती है। संस्था का स्वनियमन पत्रकारिता के उच्च आदर्शों को रेखांकित करता है और वेब पत्रकारों के अधिकारों की माँग के पहले यह आत्मानुशासन और आत्मचिंतन के सिद्धातों को अपने ह्रदय में स्थान देते हैं। यह संस्था बिहार से बाहर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र–प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, सिक्किम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी अपनी मजबूत पकड़ रखता है। इन सभी राज्यों से सदस्य पोर्टल इससे जुड़कर स्वनियमन का पालन कर रहे हैं। पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा आवश्यक है लेकिन समाज के प्रति उन्हें उत्तरदायी बनाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक जिम्मेदार पत्रकार एक मजबूत समाज का निर्माण कर सकता है और एक मजबूत समाज एक अखंड देश का।

हमारी पत्रकारिता हमारे अंदर की भावनाओं को दर्शाती है और जो हम समाज से लेते हैं अगर उसी रुप में उसे लौटाने के प्रति थोड़ी गंभीरता दिखाएं तो सबकुछ बेहतर हो जाएगा। हमारी सोच और हमारी रचनाशीलता हमें सामान्य व्यक्ति से अलग करती है इसलिए हम समाज को क्या देंगे हमें इसपर मंथन करना चाहिए। हमारी खुद की लक्ष्मण रेखा के साथ ही आपसी प्रेम, भाईचारा, सामाजिक सौहार्द्र और देश के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन हमारी आत्मा की आवाज होनी चाहिए। वेब पत्रकारों को इसी संकल्प के साथ स्वस्थ और कालजयी समाज के निर्माण के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

# संपादकीयः

## आयोजन, संगठन और स्व–नियमन

– डा0 अमित रंजन
पत्रकार, रंकर्मी और अधिवक्ता
राष्ट्रीय महासचिव
वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया

भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के साथ–साथ विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना है।भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) अपने सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (एआईआर 1950 एससी 124) में विधि का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रचार–प्रसार की स्वतंत्रता शामिल है और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता से सुनिश्चित होती है। एक्सप्रेस न्यूजपेपर (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम द यूनियन ऑफ इंडिया, (1959) एस.सी.आर.12 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्रेस की स्वतंत्रता भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है और प्रेस की स्वतंत्रता प्रकाशन पर किसी भी पूर्व प्रतिबंध की अनुमति देने में निहित है। कहा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता उन मुद्दों में से एक है जिसके इर्द–गिर्द उन सभी देशों में सबसे बड़े और सबसे कड़वे सांविधानिक संघर्ष छेड़े गए हैं जहाँ उदार संविधान प्रचलित हैं। उक्त स्वतंत्रता काफी बलिदान और पीड़ा से प्राप्त हुई है और अंततः इसे विभिन्न लिखित संविधानों में शामिल किया गया है।

मैल्कम एक्स का ये कथन सर्वथा समीचीन है कि मीडिया पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली इकाई है। इसके पास निर्दोष को दोषी बनाने और दोषी को निर्दोष बनाने की शक्ति है, और यही सर्वोच्च शक्ति है क्योंकि ये जनता के दिमाग को नियंत्रित करती है।

मीडिया लोकतांत्रिक समाज का एक महत्वपूर्ण और अविभाज्य हिस्सा है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आज की स्वतंत्र दुनिया में प्रेस की स्वतंत्रता सामाजिक और राजनीतिक संबंधों का केंद्र है। सभी लोकतांत्रिक देशों में प्रेस की स्वतंत्रता हमेशा एक पोषित अधिकार रही है।

वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (विजय) वेब पत्रकारों का एक राष्ट्रीय निबंधित संघ है, जिसका उद्देश्य वेब पत्रकारों की कार्यप्रणाली और स्वतंत्रता को विनियमित, निगरानी, सुरक्षित और संरक्षित करना और वेब पत्रकारिता के स्तर को बढ़ाकर समाचार सामग्री की गुणवत्ता और मानक में सुधार करना है, देश में वेब पत्रकारिता का स्तर बढ़ाकर और यह सुनिश्चित करके कि राय और तथ्य के बीच की रेखा धुंधली न हो। विजय का एक बहुत विस्तृत लिखित संविधान है जो संगठन के सभी मूल सिद्धांतों और उद्देश्यों को समाहित करता है।

विजय (WJAI)समझता है कि पूरे भारत में वेब पत्रकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे कानूनों/वैधानिक प्रावधानों को पढ़ें, समझें और उनका अनुपालन करें ताकि भारतीय दंड संहिता 1860 की प्रासंगिक धाराओं के उल्लंघन से बचा जा सके, विशेष रूप से मानहानि (धारा 499), महिलाओं से संबंधित कुछ अपराधों के पीड़ितों की पहचान के खुलासा से संबंधित (228 ए), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधान, अवमानना कानून और अन्य प्रासंगिक कानून, नियम और विनियम।

विजय (WJAI) का यह भी दृढ़ विश्वास है कि वेब पत्रकार/पोर्टल भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में उचित प्रतिबंधों के संबंध में संवैधानिक आदेश का पालन शालीनता और नैतिकता के साथ करेंगे।

विजय (WJAI) के संविधान की आत्मा इसके स्व–नियमन में बसती है जिसे इसके संविधान के तीन साल बाद भारत सरकार ने न सिर्फ स्वीकार किया है वरन् सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्त्ती दिशा निर्देश एवं डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2012 में अनिवार्य बनाया है। एक नजर डाल लेते हैं विजय (WJAI) के स्व–नियमन पर :–

**वेब पत्रकारों/पोर्टलों के कर्तव्य और जिम्मेदारी–**

A. वेब पत्रकारों में समाचार बोध, स्पष्टता, वस्तुनिष्ठता, सटीकता, जिज्ञासा, समय चेतना, धैर्य, कल्पनाशीलता, दूरदर्शिता, विश्वसनीयता, आत्म–नियंत्रण, निष्ठा, ईमानदारी, निडरता, चतुराई, गतिशीलता, उत्साह, चुनौतियों का सामना करने की तैयारी, पढ़ने और शोध

की आदत जैसे बुनियादी गुण अनिवार्य हैं

B. वेब पत्रकार और पोर्टल को प्रयास करना है कि :–

क. प्रसारित समाचारों की सत्यता और विविधता को सत्यापित करने के दायित्व के साथ उच्च पेशेवर मानक बनाए रखें।

ख. लोगों के व्यापक हित में सच्चाई की तलाश करें जो मीडिया पर सूचित और शिक्षित होने की अधिक जिम्मेदारी डालता है।

ग. सूचना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वेब पत्रकारिता के पेशे की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करें।

घ. तथ्यात्मक रुप से गलत किसी प्रकाशित खबर को तुरंत सुधारें।

ङ. पेशेवर गोपनीयता बरकरार रखें, व्यक्ति की निजता का सम्मान करें और तथ्यात्मक रूप से गलत होने पर उसका खुलासा न करें।

च. मानवीय गरिमा और निजता का सम्मान करें जहाँ तक सार्वजनिक हित भारतीय संविधान की पवित्रता को बनाए रखने की दृष्टि से अन्यथा मांग नहीं करता है।

C. वेब पत्रकार/पोर्टल ऐसा नहीं करेंगे–

क. झूठी, फर्जी, दुर्भावनापूर्ण और स्कैंडलस खबरों का प्रकाशन।

ख. अज्ञात स्रोत से प्राप्त सूचना, दस्तावेज, चित्र, वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रकाशन।

ग. किसी सूचना या स्टोरी के आवश्यक तथ्यों को दबाना।

घ. किसी सूचना, टेक्स्ट, दस्तावेज, चित्र,साऊण्ड रिकॉर्डिंग, जनता की राय के साथ छेड़छाड़ या गलत ढ़ंग से प्रस्तुतिकरण।

ङ. विधि द्वारा प्रतिबंधित तरीक या उपाय से सूचना, रिकॉर्डिंग, चित्र या दस्तावेज प्राप्त करना।

च. किसी व्यक्ति की जातीय या राष्ट्रीय उत्पत्ति, लिंग, यौन रुझान, बीमारी, शारीरिक या मानसिक विकलांगता के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देने वाली खबरें जानबूझकर प्रकाशित करना।

छ. दूसरों के काम या विचारों को अपना बताकर साहित्यिक चोरी करना।

ज. वेब पत्रकार की व्यावसायिक स्वतंत्रता या स्वतंत्र राय की अभिव्यक्ति को सीमित कर सकने वाला कोई भी लाभ या वादा स्वीकार करना।

D. वेब पत्रकार और पोर्टल को सदैव याद और अपने मस्तिष्क में सुरक्षित रखना है कि :–

क. सार्वजनिक हित वह नहीं है जिसमें लोगों की रुचि हो। वास्तव में, यह अधिक उदात्त जिम्मेदारी है जो जन्मजात और समकालीन सामाजिक मूल्यों और व्यापक मानव कल्याण के दायरे में कार्य करती है। उन पर खरा उतरने की हमारी प्रतिबद्धता को किसी भी राज्य या राज्य प्रायोजित संस्थान द्वारा विनियमित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः स्व–नियमन ही सर्वोत्तम नियमन है।

ख. कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। वेब पत्रकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे कानूनों/वैधानिक प्रावधानों को पढ़ें, समझें और उनका अनुपालन करें ताकि भारतीय दंड संहिता 1860 की प्रासंगिक धाराओं के उल्लंघन से बचा जा सके, विशेष रूप से मानहानि (धारा 499), कुछ अपराधों के पीड़ितों की पहचान का खुलासा करने से संबंधित धाराओं के उल्लंघन से बचा जा सके। 228ए), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधान, अवमानना कानून और अन्य लागू अधिनियम/विनियम। वेब पत्रकार/पोर्टल भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों के संबंध में संवैधानिक आदेश का पालन करेंगे। न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में।

**स्व–नियामक निकाय :–**

संगठन की स्व–नियामक निकाय– वेब जर्नलिस्ट्स स्टैंडर्ड अथॉरिटी (WJSA) है जो सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता), 2021 के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पंजीकृत स्व–नियामक निकाय है।

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 12 के अनुसार समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री के प्रकाशकों के लिए लेवल II स्व नियामक निकाय के रूप में कार्य करती है। यह स्व–नियामक निकाय भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा सदस्य प्रकाशकों के साथ स्व–नियामक निकाय के रूप में पंजीकृत किया गया है।

डब्ल्यूजेएसए नियमों के तहत आचार संहिता से संबंधित शिकायतों के निवारण के उद्देश्य से नियम 12 के उप नियम (4) और (5) में निर्धारित कार्य कर रहा है। निकाय यह भी सुनिश्चित करता है कि सदस्य प्रकाशक नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमत हुए हैं, जिसमें नियम 18 के तहत

आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करना शामिल है।

**आयोजन :–**

शासन–प्रशासन, पत्रकारिता के रोल मॉडल्स, वेब पोर्टलों के स्वामी–प्रकाशक, पत्रकार और समाज के विभिन्न क्षेत्रों की ख्यात् हस्तियों के साथ व्यापक संवाद कायम करने के उद्देश्य से वेब मीडिया समिट 2023 और सांगठनिक आमसभा का आयोजन 28 एवं 29 अक्टूबर को पनास वेंक्वेट, सगुना मोड़, पटना और युवा वास, फ्रेजर रोड़, पटना में किया गया है।

संगठन के मेगा इवेंट की इस बेला में अपने आगाज और कार्यों का पुनर्स्मरण तो बनता है क्योंकि भूत ही वो नींव होती है जिस पर भविष्य की अट्टालिकाएं खड़ी की जाती हैं।

**सफरनामा :–**

31 दिसम्बर 2018 को कौमी एकता के प्रतीक छपरा के एकता भवन में आयोजित न्यूज फैक्ट डॉट इन की पहली सालगिरह पर मुख्य अतिथि के रुप में पुराने ईटीवियन, मीडिया स्ट्रैटजिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार आनन्द कौशल, वरिष्ठ संपादक ओमप्रकाश अश्क और श्रीराम जानकी फिल्म के एमडी समाजिक कार्यकर्त्ता रजनीकांत पाठक और न्यूज फैक्ट डॉट इन के प्रकाशक डॉ0 अमित रंजन ने देश भर के वेब पत्रकारो को एक जुट करने के लिए एक राष्ट्रीय संगठन की न सिर्फ आवश्यकता शिद्दत से महसूस की वरन् साहसिक कदम उठाते हुए बकायदा मंच से इसकी घोषणा कर दी गई। फिर देश भर से पुराने ईटीवियन्स और वेब पत्रकारों के जुड़ने और बैठकों का सिलसिला शुरु हुआ जिसमें मुख्य रुप से अमिताभ ओझा, रजनीशकांत, माधो सिंह, हर्षवर्धन द्विवेदी, आशीष शर्मा ऋषि, निखिल केडी वर्मा, मधूप मणि पिक्कू, बाल कृष्ण, जीतेन्द्र सिंह, सुरभित दत्त, मुरली मनोहर श्रीवास्तव, रमेश पाँडेय, मंजेश कुमार, चंदन कुमार, जीतेन्द्र सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव, आदित्य झा, अनुप नारायण सिंह, गौतम गिरियग जैसे दर्जनों उत्साही, ऊर्जावान और कर्मठ साथियों का साथ मिला। तदुपरांत, 22 फरवरी 2019 को छपरा में आहूत पहली आम सभा में राष्ट्रीय कार्यकारिणीका गठन हुआ।

देश के स्वनामधन्य वरीष्ठ संपादक एन0 के0 सिंह और 162 साल पुरानी लॉ फर्म आर0 आर0सहाय एण्ड एसोसिएट के एम0डी0 और पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रोहन प्रियम सहाय का साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष आनन्द कौशल और राष्ट्रीय महासचिव अमित रंजन को प्राप्त हुआ और फिर बड़े मनोयोग से देश दुनिया के तमाम संविधानों के गहन अध्ययन–अनुशीलन के साथ अपनी मौलिक उद्भावनाओं को समायोजित करते हुए विजय का संविधान तैयार किया गया।संविधान में वेब मीडिया के लिए स्व–नियम और डूज डोंट्स के साथ साथ सेवानिवृत्त न्यायमूर्त्ति की चेयरमैनशिप और सेवानिवृत उच्च पदाधिकारी, पत्रकार, शिक्षाविद् और समाज के विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों की सदस्यता वाली वेब जर्निलिस्ट्स स्टैंडर्ड ऑथरिटी की परिकल्पना बड़ी दूरगामी सोच का परिचायक साबित हुई।

28 अगस्त 2019 को संगठन विधिवत सोसायटी रजिस्ट्रेशन एकेट 1860 के तहत् निबंधित हुआ जिसके बाद संगठन का अपने जन्मना उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए चरण बद्ध अभियान आरंभ हुआ। वर्ष 2019 में ही हमने भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रस्तावित आर0आर0पी0 बिल के लिए सुझाव भेजे और लगातार संवाद कायम किया।

बिहार में पुलिस मुख्यालय द्वारा वेब पत्रकारों के खिलाफ जारी तुगलकी फरमान को महज चार दिन में वापस कराया। कोरोना काल में अपने सदस्य वेब पत्रकारों की हर तरह से मदद की और वेब पत्रकार कल्याण कोष से इलाज के लिए सहयोग प्रदान किया। लॉकडाऊन में अपने फेसबुक पेज पर वरिष्ठ पत्रकरों और विभन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों के साथ लगातार लाईव संवाद कायम किया।

भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के निर्देश पर पहल करते हुए सूचना प्राद्योगिकी (मध्यवर्त्ती दिशा निर्देश एवं डिजिटल माडिया इथिक्स कोड़) नियम, 2021 के तहत् अपने वेब जर्नलिस्ट्स स्टैंडर्ड ऑथरिटी को सदस्य वेब पोर्टलों के साथ निबंधित कराया और नियमित रुप से ग्रीवांस रिड्रेसल घोषणा प्रेषित प्रकाशित कर–करवा रहे हैं।

दिल्ली–एनसीआर, पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रदेश इकाईयाँ बेहतरीन कार्य कर रही हैं, अन्य प्रदेशों में शीघ्र ही राज्य इकाईयों के गठन की योजना है। संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली–एनसीआर, यूपी–उत्तराखंड, मध्यप्रदेश–छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल–उत्तर पूर्वी राज्य, दक्षिण तक न सिर्फ स्थापित हैं बल्कि राज्य इकाईयों के माध्यम से संगठन का प्रसार देश के कोने कोने तक हो चुका है और लगातार जारी है।

अंत में, हम सभी माननीय अतिथिगण, पत्रकारिता के रोल मॉडल्स, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदधारक और कार्यसमिति सदस्यों, संगठन के सभी सदस्यों, बिरादराना संगठनों, स्मारिका के लिए कृपापूर्ण शुभकामना और आलेख प्रदान करने वाले महानुभावों और इस आयोजन में लगे सभी साथियों के प्रति हृदय की गहराईयों से आभार व्यक्त करते हैं।

## आवरण लेख :

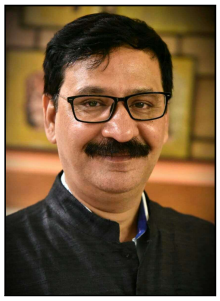

# डिजिटल मीडिया : बढ़ता प्रभाव, घटती जवाबदेही

– प्रो. (डॉ.) संजय द्विवेदी,
पूर्व महानिदेशक,
भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली

पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली में 'डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन' की ओर से 'फ्यूचर ऑफ डिजिटल मीडिया' विषय पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व संचार मंत्री और सांसद, पॉल फ्लेचर ने एक समाचार पत्र को दिये गए अपने साक्षात्कार में कहा कि, "आने वाले दिनों में भारत डिजिटल की दुनिया में सबसे आगे होगा। अगले दस सालों में डिजिटल क्षेत्र में सबसे बड़ी संचार क्रांति होने वाली है। बस इस दौरान सबसे ज्यादा सजगता और ध्यान फेक न्यूज को रोकने के साथ–साथ क्वालिटी कंटेंट और बिजनेस मॉडल को अपग्रेड करने की जरुरत होगी।" उनका मानना था कि भारत में डिजिटल मीडिया के लिए सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। इसकी वजह है कि भारत सरकार ने जिस तरीके से डिजिटल दुनिया को अपनाया है और देश के लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है, वह बेहद महत्वपूर्ण है।

फ्लेचर की इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत डिजिटल उपयोग के मामले में विश्व का सिरमौर बनने वाला है। पिछले एक दशक में देश में डिजिटल मीडिया और डिजिटल सहूलियतों का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है। लेकिन, इस सबके बीच दो चीजों की अनुपस्थिति स्पष्ट देखी जा सकती है– एक, विश्वसनीयता और दूसरी, जवाबदेही। ये दोनों ही चीजें, एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। एक–दूसरे पर निर्भर करती हैं। यदि जवाबदेही तय होगी, तो डिजिटल मीडिया की विश्वसनीयता खुद–ब–खुद बढ़ जाएगी।

### डिजिटल साक्षरता से बढ़ेगा जिम्मेदारी का अहसास

जहां तक जवाबदेही के अभाव का प्रश्न है, तो इसकी कई वजह हैं। पहली वजह है वर्तमान समय में उपलब्ध बेहद सस्ती और सर्वसुलभ तकनीकी सुविधाएं। तेज इंटरनेट स्पीड जैसी चीजों ने हर किसी के लिए यह बहुत आसान बना दिया है कि वह जब चाहें, नाममात्र के खर्च में अपना खुद का समाचार पोर्टल, यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। इसके माध्यम से लोगों को शिक्षा, सूचना, समाचार व मनोरंजन देते समय इस तरह के उपक्रम शुरू करने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि इस सबकी कुछ संवैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक सीमाएं भी हो सकती हैं। गैरजिम्मेदारना रवैये की शुरुआत यहीं से होने लगती है और फिर अपने दायित्वों की उपेक्षा एक आदत बन जाती है। दूसरी वजह है, डिजिटल साक्षरता पर ध्यान न दिया जाना। डिजिटल मीडिया के अप्रशिक्षित कंटेंट प्रोवाइडर और इसके जरिये जानकारियों को दूसरों तक पहुँचाने वाले आमजन, दोनों को ही इसकी बहुत जरुरत है।

### बड़ी कंपनियां भी पीछे नहीं

ऐसा नहीं कि सारा दोष अपरिपक्व डिजिटल मीडिया या इंडीजीनियस कंटेंट प्रोवाइडर्स का ही है। जवाबदेही से बचने के मामले में बड़ी कंपनियां भी किसी से पीछे नहीं है। फेसबुक और ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बरसों से 'फेक न्यूज' और 'हेट कंटेंट' के लिए किया जाता रहा है। लेकिन, उनकी तरफ से इन्हें रोकने के लिए पुख्ता उपाय अभी तक नहीं किये जा सके हैं। चूंकि, अभी तक हमारे यहां सब कुछ स्व–नियमन (सेल्फ रेगुलेशन) के भरोसे चल रहा है, इसलिए जवाबदेही को लेकर, ये किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से आसानी से बच जाती हैं। यह निश्चिंतता, उन्हें 'जो है, जैसा है' के हिसाब से चलते रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। यूजर्स कुछ भी पोस्ट करें, समाज पर, देश की अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर उसका कुछ भी असर पड़े, इससे उन्हें कोई लेना–देना नहीं है। उनका एक ही मंत्र है, जितना बड़ा यूजर बेस, उतना ही बड़ा कारोबार। ट्विटर के 56 करोड़, फेसबुक के एक अरब, इंस्टाग्राम के डेढ़ अरब, ये सब मिलकर दुनिया की करीब चालीस प्रतिशत आबादी के बराबर हो जाते हैं। इन्हें अपने साथ बनाये रखने के लिए हर प्रकार के समझौते करने के लिए तैयार ये बिग टेक कंपनियां बाकी के साठ फीसदी लोगों के हितों के बारे में शायद ही कभी सोचती होंगी।

**बहुभाषी, विविधतापूर्ण भारत में चुनौती ज्यादा**

भारत की समस्या यह नहीं है कि वह डिजिटल मीडिया या दूसरी डिजिटल विधाओं–सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा यूजर बेस रखने वाला देश बनने जा रहा है। बल्कि समस्या यह है कि इसकी भाषाई, सांस्कृतिक विविधता के बीच, कोई भी चीज या बात, एक जगह के लोगों के लिए सही हो सकती है, तो वही चीज दूसरी जगह के लोगों पर, उनके समाज पर हानिकारक असर पैदा करने वाली हो सकती है। भौगौलिक सीमाओं से परे रहने वाला और खुद को सभी बंदिशों से ऊपर मानने वाला डिजिटल मीडिया, आवश्यक नियमन के अभाव में स्वतंत्र से ज्यादा उच्छृंखल नजर आता है। देश की बहुसंख्य जनता की मजबूरी यह है कि वह डिजिटल मीडिया पर बहुत ज्यादा भरोसा न करने के बावजूद, लगातार उसी के संपर्क में बनी रहने की वजह से जो बार–बार, लगातार दिखाया जाता है, उसे ही सच मानने लग जाती है।

वर्ष 2016 में 'स्टेनफोर्ड हिस्ट्री एजुकेशन ग्रुप' की एक रिसर्च के दौरान यह चौंकाने वाले निष्कर्ष सामने आए कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने वाले 80 प्रतिशत छात्र, विज्ञापन और खबरों के बीच फर्क ही नहीं कर पाते। अगर एक विकसित होता व्यक्तित्व चारों तरफ ऐसी सूचनाओं से घिरा हो, जिनमें कौन सी सच है, कौन सी झूठ, यही पता न चल रहा हो तो कल्पना की जा सकती है कि उसे किस तरह की मुश्किल से जूझना पड़ रहा होगा। युवा पीढ़ी को इस तरह की स्थिति से बचाने के लिए कुछ उपाय करना आवश्यक है।

**सरकार की गाइडलाइंस**

डिजिटल मीडिया के खिलाफ लगातार बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इन पर मौजूद डिजिटल कंटेट का वैधानिक नियमन करने के लिये एक व्यवस्था बनाए जाने की मांग उठ रही थी। इस माँग को गंभीरता से लेते हुए, पिछले साल सरकार ने 'सूचना तकनीक (अंतरमध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया कोड) कानून 2021' लाकर, इसके अंतर्गत सोशल मीडिया, ओटीटी व डिजिटल समाचार कंपनियों के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किये थे। इनके अनुसार आठ तरह के नियमन तय किये गये थे। इनमें ये कंपनियां पोस्ट के मूल स्रोत को बताना, देश की संप्रभुता, सुरक्षा, जनहित, विदेश नीति संबंध, यौन हिंसा जैसे मामलों में सूचना के मूल स्रोत की जानकारी देना, भारत में रहने वाले मुख्य शिकायत निपटान अधिकारी की नियुक्ति, सरकारी एजेंसियों की निरंतर पहुँच में रहने वाला मुख्य संपर्क अधिकारी नियुक्त करना, हर महीने आने वाली शिकायतों और उनके संबंध में उठाये गये कदमों के बारे में रिपोर्ट जारी करना, अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भारत में मौजूद उनका एक संपर्क पता बताना, उपभोक्ताओं का सत्यापन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा किसी उपभोक्ता की पोस्ट हटाये जाने पर उस कंटेंट और उसे हटाने की वजह की जानकारी देना, जैसी चीजों के लिए बाध्य थीं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यह थी कि कानून कहीं भी कंपनियों या इन पर उपलब्ध कंटेंट की सेंसरशिप की बात नहीं करता था और इसमें ऐसी व्यवस्था की गई थी कि कंपनियाँ टीवी मीडिया की तरह 'आत्म–अनुशासन' या 'स्व–नियमन' के सिद्धांत पर काम करें। लेकिन, अपने व्यावसायिक हितों को सर्वोपरि रखने वाले डिजिटल मीडिया के आचरण को देखकर कहीं ऐसा नहीं लगता कि उसने 'आत्म–अनुशासन' या 'स्व–नियमन' सीखा होगा।

हम कह सकते हैं कि सब कुछ डिजिटल मीडिया के ऊपर छोड़ देने से समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। कुछ नई तरह की और अधिक सार्थक नियामक और निवारक व्यवस्थाएं होना आवश्यक हैं। तभी उनमें प्रिंट मीडिया जैसी जवाबदेही और सामाजिक दायित्वों के प्रति गंभीरता की भावना उत्पन्न की जा सकेगी।

## Cover Story:

# Analysis of The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021

**KINKAR KUMAR**
Advocate
Patna High Court

The Information Technology (Guidelines for Intermediaries and Digital Media Ethics Code) Rules of 2021 (hereinafter referred to as '**Rules**') has been enacted by the Central Government under the powers conferred to it under Section 69A (2), 79(2)(c) and 87 of the Information Technology Act (hereinafter "**Act**").The Rules have brought about changes for intermediaries in terms of increasing due diligence obligations and liability in cases of non-compliance. In this article, I attempt to analyse how the Rules affect intermediaries and digital media entities and the key obligations set out therein.

**Key points:**

**Due Diligence:**

Rule 3 lists out certain due diligence measures to be taken by an intermediary, which includes their duty to publish their rules and regulations, privacy policies and user agreements for access, either on its website and/or application, to allow its users to access the same. The material so published shall outline the user's responsibility not to *"host, display, upload, modify, publish, transmit, store, update or share"* any form of information which:

i. belongs to another person.
ii. is defamatory, obscene, pornographic, pedophilic, invasive of one's privacy, libelous, or inconsistent with the law.
iii. is dangerous for minors.
iv. results in the infringement of any intellectual property right.
v. is deceptive regarding the origin of the message.
vi. impersonates another person.
vii. hampers the integrity, security, or sovereignty of the country,
viii. contains any software virus to corrupt or interrupt the functionality of any computer resource.
ix. is patently false and untrue.

***Additional Compliance Measures for Significant Social Media Intermediaries:***

**Due Diligence:**

Rule 4 sets out additional due diligence measures to be taken up by a significant social media intermediary as defined under Rule 2(1)(v).

**First Originator:**

Rule 4(2) provides an additional responsibility on significant social media intermediaries to identify and track the first originator of any contentious or problematic information. This power can only be exercised in order to curb any offence threatening the integrity or security of the State, inciting the commission of rape, child sexual abuse or other grievous offences.

**Voluntary Verification of Users:**

As per Rule 4(7), users of significant social media intermediaries must be provided a facility to voluntarily verify themselves. The verification can take place based on their number or account and would provide the user with a visible mark of verification.

**Notification to Originators on Removal of Information:**

Where a significant intermediary has removed or restricted access to any information or data, they must ensure that the originator is made aware of the same, including the grounds for such action. Further, Rule 4(8) provides that this process must be overseen by the Resident Grievance

Officer.

**Grievance Mechanism:**

An Online Grievance Portal, established by the Ministry within three months of the commencement of the Rules, shall act as the central repository for accepting and disposing of grievances**.** In pursuance to this, the Rules provides a three-tiered grievance mechanism, consisting of:

i. Level I: Self-regulation by the applicable entity
ii. Level II: Self-regulation by the self-regulating bodies of the applicable entities
iii. Level III: Oversight mechanism by the Central Government

Pursuant to the amendment to the Rules in 2023, following are the additional key pointers that are to be noted:

**Fact Check Unit ('FCU'):**

The SMIs, SSMIs and Online Gaming Intermediary shall inform their users through internal rules, regulations and other policies, to not *'host, display, upload, modify, publish, transmit, store, update or share any information* which is **'identified as fake or false or misleading by a fact check unit of the Central Government'** in respect of **any business of the Central Government**.

In cases where information has been flagged as false or misleading, intermediaries shall take down the content. The FCU can instruct intermediaries (including social media sites) not to host such content. The intermediaries must take down the content to retain their safe harbour provisions as provided under Section 79 of the Act which protects an intermediary from being held liable for third-party content on its platform.

**Inclusion of 'Online Gaming Intermediaries':**

There is a new classification of provider of online games as an 'intermediary' under the Act creating a different category called 'Online Gaming Intermediary'.

The amendment imposes additional compliance requirements, particularly on OGIs who provide access to Permissible Online Real Money games which means 'an online real money game which a self-regulatory body has verified' as per Rule2(1) (qf).

## आवरण लेख :

# भारत में वेब मीडियाः शुरुआती मुश्किलों से गंभीर हैं आज की चुनौतियाँ

– **गौतम मोरारका**
प्रधान संपादक
प्रभा साक्षी

भारत में डिजिटल मीडिया (वेब मीडिया) ने सन् 2000 की शुरुआत में पाँव पसारना शुरू कर दिया था। भले शुरुआत में अंग्रेजी भाषा की समाचार वेबसाइटों की बहुतायत रही हो लेकिन हिंदी समाचार वेबसाइटों/पोर्टलों की शुरुआत भी उसी समय हुई थी जब अंग्रेजी ने कदम बढ़ाया था। उस समय संख्या और तकनीकी क्षमताओं के लिहाज से भले हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की समाचार वेबसाइटें पीछे रही हों लेकिन इन दो दशकों से ज्यादा समय के सफर में भारतीय भाषाओं की समाचार वेबसाइटें और पोर्टल पाठक संख्या के मामले, कंटेंट की गुणवत्ता और तकनीकी क्षमताओं के मामले में अंग्रेजी को पछाड़ने में सफल रहे हैं।

यही नहीं, कल तक अगर भारतीयों के कम्प्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन पर अंग्रेजी राज करती थी तो आज समय बदल चुका है और राज हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का है। एक वक्त था जब हिंदी का कंटेंट पढ़ने के लिए तमाम तरह के फॉन्ट्स डाउनलोड करने पड़ते थे। अगर आपको कोई हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में ई–मेल भेज दे तो उसे पढ़ने के लिए तमाम फॉन्ट परिवर्तकों का सहारा लेना पड़ता था। यदि किसी को हिंदी या फिर अन्य किसी भारतीय भाषा में ई–मेल भेजते थे तो साथ में फॉन्ट भी अटैच करके भेजते थे ताकि वह पढ़ ले लेकिन यह काम भी सबसे नहीं हो पाता था ।

सिर्फ पाठक को ही समस्याएं थीं ऐसा नहीं है। एक पत्रकार के रूप में हमें भी समस्या होती थी। यदि किसी एजेंसी से कोई खबर आती थी तो आप उसे कॉपी पेस्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि एजेंसी का फॉन्ट अलग होता था और संस्थान का अलग। ऐसे में खबर का प्रिन्ट लेकर उसे दोबारा टाइप करने करवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

आज से 15 साल पहले हर कोई अपनी वेबसाइट की साज–सज्जा बेहतरीन रखने के चक्कर में अलग–अलग तरह के फॉन्टों का उपयोग करता था। फॉन्टों में एकरूपता नहीं होने के चलते हिंदी और भारतीय भाषाएं आगे नहीं बढ़ पा रही थीं।

मैं प्रभासाक्षी का अनुभव भी आपके साथ साझा करना चाहूँगा। हमने कुछ शहरों में रीडर्स फोरम आयोजित किये और कंटेंट को लेकर उनकी इच्छाओं को ही नहीं बल्कि पाठकों की तकनीकी दिक्कतों को भी समझा। इसके बाद हमने अपनी वेबसाइट पर एक फीचर देना शुरू किया। वेबसाइट कृति फॉन्ट में खुलती थी लेकिन तीन विकल्प मिलते थे जिससे कि आप उस समय प्रचलित कुछ अन्य फॉन्टों में भी हमारा न्यूज पोर्टल पढ़ पाते थे। जब यूनिकोड आया तो हमने भी उसे अपनाया लेकिन अपने उस पाठक को नहीं त्यागा जिसके पास अब भी पुराने कम्प्यूटर थे। इसलिए हमने विकल्प दिया कि आप चाहें तो यूनिकोड में पढ़ें या फिर कृति या उस समय अन्य उपलब्ध और प्रचलित फॉन्टों में। यहां हमें सीख यह लेनी है कि आपको तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में खुद को अपडेट रखते हुए उसका भी ख्याल रखना है जिसके पास संसाधन नहीं हैं।

आज का जो यह डिजिटल इंडिया है यह असल में पूर्णतः लोकतांत्रिक भी है। आज एलेक्सा से लेकर गूगल तक, चौट जीपीटी से लेकर जीपीएस तक आपकी भाषा समझ रहे हैं और आपकी भाषा बोल रहे हैं। आज आप भारतीय भाषाओं में गूगल समेत अन्य वेबसाइटों के जरिये मिलने वाले टाइपिंग टूलों में आसानी से टाइप कर लेते हैं। आपको टाइपिंग नहीं भी आती है तो भी बढ़िया टाइपिंग कर लेते हैं!

यह लिपि या फॉन्टों की तकनीकी समृद्धि का ही तो कमाल है कि आज अंग्रेजी की तरह वेबसाइटों के यूआरएल भी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में हैं, अंग्रेजी की तरह किसी भी डॉक्यूमेंट का फाइल नेम या फोल्डर नेम आप हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में लिख सकते हैं। जिस विषय पर भी ज्ञान अथवा जानकारी चाहते हैं उसके लिए आपकी अपनी भाषा में तमाम वेब पेजेस और यूट्यूब पर वीडियोज की भरमार है। आपके पास कौन–सा कम्प्यूटर है या कौन–सा मोबाइल है, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फॉन्टों में एकरूपता होने के चलते आपको सारी सामग्री सब जगह एक जैसी ही प्राप्त

होती है। आप उसे सेव कीजिये, फॉरवर्ड कीजिये या सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिये, कहीं से भी लिखित सामग्री गड़बड़ायेगी नहीं। वही दिखेगा जो लिखा है।

तकनीक के किसी भी मोर्चे पर हिंदी या अन्य भारतीय भाषाएं अंग्रेजी के मुकाबले पिछड़ नहीं जायें इसके लिए आज जो प्रयास हो रहे हैं यदि वह बहुत पहले शुरू हो गये होते तो आज स्थिति कुछ और होती। लेकिन हमें यहां ध्यान रखना होगा कि भारतीय भाषाओं के विकास, विस्तार और उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए सिर्फ सरकारी प्रोत्साहन या सरकारी प्रयासों के भरोसे नहीं रहा जा सकता, हम सभी को अपने–अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे।आज अगर सरकार डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ पाई है तो उसका प्रमुख कारण यही है कि हिंदी समेत अन्य सभी भारतीय भाषाओं का इंटरनेट पर विस्तार और सशक्तिकरण हुआ है। हिंदी, बंगाली, उड़िया, तेलुगू, तमिल, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी आदि भाषाओं में आज इतना कंटेंट लिखा और पढ़ा जा रहा है कि अंग्रेजी पिछड़ती जा रही है।

आज नेशनल मीडिया में जो बड़ी खबरें होती हैं उनमें अधिकांश ऐसी होती हैं जो किसी क्षेत्रीय भाषा की वेबसाइट या समाचार पत्र ने ब्रेक की होती है। बंगाली, तमिल, तेलुगू, मलयालम भाषा की वेबसाइटें बड़ी खबरें ब्रेक कर रही हैं और अपडेशन की तीव्रता के मामले में अन्य से आगे निकल रही हैं। इनकी खबरें ट्रेंड हो रही हैं ऐसे में आज सभी मीडिया हाउसों में अनुवादकों की मांग भी बढ़ गयी है।हिंदी और अंग्रेजी मीडिया हाउसों में क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित वेबसाइटों पर खासतौर पर नजर रखी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा नया कंटेंट अपने पाठकों को दिया जा सके। परिदृश्य इसलिए भी बदला है क्योंकि पाठकों और दर्शकों की इच्छा सिर्फ दिल्ली या महानगरों की खबरों या वहां की हलचलों पर नजर रखने से आगे बढ़कर भारत के हर भाग में हो रही घटनाओं और वहां चल रही गतिविधियों को जानने और समझने की हो गयी है।

इसके अलावा हमें एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि हम जिस भी भाषा में पत्रकारिता करते हों हमें सभी भारतीय भाषाओं को साथ लेकर चलना है। साथ ही आप यदि आईटी में रुचि रखते हैं और यदि हिंदी या बंगाली भाषा भाषी के लिए कोई तकनीकी विकास कर रहे हैं तो प्रयास करें कि उसका लाभ सभी भारतीय भाषाओं को मिले। अपनी मातृभाषा से प्यार जायज है लेकिन बाकी भारतीय भाषाएं भी हमारे परिवार की हैं इसलिए सभी का ख्याल रखा जाना चाहिए। आज लोकल हो चुकी इस दुनिया को अपने इलाके का कंटेंट अपनी भाषा में चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसका अभी अभाव है। आप दिल्ली में बैठे नगालैंड के व्यक्ति को कोहिमा की खबरें देना शुरू कीजिये देखिये कोहिमा में बैठे रतलाम के व्यक्ति को अपने इलाके की खबरें भी मिलने लगेंगी। आप बॉम्बे में बैठे उदयपुर के व्यक्ति को उसके इलाके की खबर देना शुरू कीजिए, उदयपुर में बैठे नांदेड़ के व्यक्ति को भी उसके इलाके की खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी।

बहरहाल, वेब मीडिया के कंधे पर जहां सबसे पहले किसी खबर को ब्रेक करने की जिम्मेदारी है वहीं उससे भी बड़ी जिम्मेदारी यह है कि फेक न्यूज का प्रसार नहीं होने पाये। देखा जाये तो डिजिटल मीडिया, यह नाम भी आकर्षक है और इसका काम तो और भी आकर्षक है। यह तीव्र गति से सूचना के प्रसार का काम करता है लेकिन बेहद शक्तिशाली इस मंच को तमाम बुराइयों ने भी जकड़ लिया है। फेक न्यूज को ही लोग असल न्यूज मान कर भ्रमित होने लगे हैं। महानगरों में तो फिर भी हालात ठीक हैं क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर आने वाले समाचारों की अनेक प्रकार से पुष्टि कर लेते हैं लेकिन हमने 2019 के लोकसभा चुनाव के समय देश भर में कवरेज के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में फेक न्यूज का बहुत बुरा प्रभाव देखा। अधिकतर लोग अपने फेसबुक पेज पर या व्हाट्सएप पर आये समाचार को ही असली मान लेते हैं और उसे आगे बढ़ा देते हैं। डिजिटल मीडिया की ताकत का दुरुपयोग कुछ लोग जानबूझकर करते हैं, आजकल यह सामान्य प्रचलन हो गया है कि किसी को भी किसी मुद्दे पर ट्रोल कर दो, उसकी छवि खराब कर दो, तमाम ऐसी वेबसाइटें बना ली गयी हैं जिन पर फर्जी समाचार प्रकाशित करवा कर उसके लिंक साझा कर दिये जाते हैं, किसी नेता की रैली हो तो उसके पक्ष में या विपक्ष में ट्रैंड करवा कर मूल मुद्दे से ध्यान भटका दो, यह सब अब न्यू नॉर्मल हो गया है। ऐसे माहौल में स्व–अनुशासन का पालन करना वेब मीडिया के लिए बहुत जरूरी हो गया है।

## आवरण लेख :

# आज पत्रकारिता सवाल नहीं करती वरन, खुद सवालों के घेरे में है

– निशान्त राज,
युवा वेब पत्रकार

भारतीय पत्रकारिता के जन्म से लेकर आजतक पत्रकारिता में कई नये आयाम जुड़े। यह देशकाल, वातावरण, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की देन रही है। आज भारतीय हिन्दी पत्रकारिता की उम्र लगभग 197 वर्ष हो गयी। हिन्दी का प्रथम समाचार पत्र 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ साप्ताहिक समाचार पत्र– 'उदन्त मार्तण्ड' का भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में अलग महत्व है। कानपुर के रहने वाले वकील जुगल किशोर शुक्ल ने यह पत्र ऐसे समय में हिंदी भाषा में पत्र निकालने का साहस दिखाया जब ब्रिटिश शासन में भारतीयों के हित में कुछ भी लिखना बड़ी चुनौती थी।

आजादी से पूर्व की पत्रकारिता समाजिक सरोकारों से जुड़ी थी। तब पत्रकारिता सूचना पहुँचाने के साथ जन जागरूकता पैदा करने का कार्य भी करता था। जनता में चेतना जागृत करना, समाज में व्याप्त अंधविश्वास, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष, देशवासियों की रक्षा जैसे विषय व मुद्दे की बात पत्रकारिता में होती थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद परिस्थितियों में बदलाव दिखने लगा। मुद्रित माध्यम के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मिलकर हिन्दी पत्रकारिता का स्वरूप ही बदल दिया। हिन्दी पत्रकारिता ने अंग्रेजी पत्रकारिता के दबदबे को भी खत्म किया। बिहार में भी पत्रकारिता का इतिहास पुराना है। उर्दू अखबारों के बाद 1872 में बिहार से पहला हिंदी साप्ताहिक पत्र 'बिहार बंधु' महाराष्ट्र के पंडित मदन मोहन भट्ट ने निकाला। बिहार बंधु के प्रकाशन के कुछ ही समय बाद पंडित रामनाथ ने राज्य से उर्दू का पत्र 'अलपंच' निकाला। प्रवासी बंगाली बाबू गुरु प्रसाद सेन में 'बिहार हेराल्ड' अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। इन अखबारों के प्रकाशन के साथ बिहार में पत्रकारिता की नई लहर पैदा हुई। जिस समय इन अखबारों का प्रकाशन हुआ उस समय बिहार में कोई भी छापाखाना(प्रेस) नहीं था। 'बिहार बंधु' का प्रारंभिक अंक कोलकाता से छापकर आता था।

**मीडिया की विश्वसनीयता :–**

लेकिन समाजिक सरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता आज सवालों के घेरे में है। पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है कि जिसके पास जितने अधिक सवाल होंगे, जितनी अधिक जिज्ञासा होगी, वह उतना कामयाब पत्रकार होगा। लेकिन वर्तमान समय में पत्रकारिता सवाल नहीं कर रही है, बल्कि खुद सवालों के घेरे में है। मुख्य सवाल इसकी विश्वसनीयता को लेकर है। चिंतन करना होगा कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर सवाल क्यों उठ रहा है?

अविश्वसनीय मीडिया, अविश्वसनीय खबर, सिर्फ मीडिया के लिए ही नहीं, पूरे लोकतंत्र और पूरे मानवीय समाज के लिए घातक हो सकती है। पत्रकारिता एकमात्र ऐसा स्रोत है जिससे अमर्यादित व्यवहार करने वाले, समाज की शुचिता भंग करने वाले और निजी स्वार्थ के लिए पद और सत्ता का दुरुपयोग करने वाले भयभीत रहते हैं। आज जब हम मीडिया इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यह विशुद्ध व्यवसाय हैं। पत्रकारिता में जो लोग आ रहे हैं, वह सामाजिक सरोकार से नहीं, बल्कि लाभ की कामना, व्यक्तिगत स्वार्थ, शासन और सत्ता से भी सहायता लेने और लाभ देना के लिए पत्रकार बनने को बेताब हैं। यह काम एक वर्ग करता है, लेकिन कलंक संपूर्ण पत्रकारिता पर लगता है।

**वेब पत्रकारिता :–**

सूचना और संचार क्रांति के दौर में आज प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के बीच वेब पत्रकारिता ने भी अपनी अलग पहचान बना ली है। वेब पत्रकारिता के कई स्वरूप वेबसाइट, न्यूज पोर्टल, ब्लाग और वेब चैनल हैं। देश के ज्यादातर बड़े समाचार–पत्रों और चैनलों के ऑनलाइन संस्करण भी हैं। जिस गति से डिजिटल मीडिया के दायरे में वृद्धि हो रही है उससे यही सम्भावना बन रही है कि वेब पत्रकारिता का भविष्य भारत में उज्ज्वल होगा। लेकिन इसकी कई खूबियों के साथ इसमें कई समस्याएं और चुनौतियाँ भी पैदा हुई हैं। विशेषतौर पर इंटरनेट निरक्षरता, विषय वस्तु की

विश्वसनीयता, डिजिटल विभाजन, निजता आदि को प्रमुख चिंता के रूप में देखा जा रहा है।

**वेब पत्रकारिता का विनियमन :**

ऑनलाइन पत्रकारिता के विनियमन के लिए विश्व के कई देशों में अलग–अलग संस्थाएं कार्यरत है। भारत में पत्र–पत्रिकाओं को शुरू करने के लिए आरएनआई (रजिस्ट्रार न्यूज पेपर ऑफ इंडिया) से पंजीकरण कराना होता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शुरू करने के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया से गुजरना होता है। लेकिन डिजिटल मीडिया न्यूज प्लेटफार्म के लिए देश में अभी तक कोई ऐसी प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। जिस वजह से डिजिटल मिडिया का विनियमन भारत सरकार के लिए एक चुनौती भी है, फिर भी सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नियम के तहत डिजिटल मिडिया के दिशा निर्देश जारी किये गये है। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्ययवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय द्वारा जारी नियम है। इसमें डिजिटल न्यूज माध्यमों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाई गयी श्रेणियों के अनुसार इनको प्रेस परिषद के प्रेस परिषद एक्ट, 1978 के पत्रकारिता आचरण के मानदंड और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5 के अधीन कार्यक्रम संहिता का पालन करना होगा। इसके अलावा इस नियम के तहत ऐसी कोई भी सामग्री जो किसी भी कानून के तहत अभी प्रतिबंधित है, उसे प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया सकता। साथ ही इसमें ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए है, जिसमें न्यूज प्लेटफार्मों को अपने पोर्टल पर शिकायत अधिकारी को निवारण के लिए रखना होगा। इसके अलवा भारत सरकार द्वारा पंजीकृत सेल्फ रेगुलेटरी संस्थाएं भी शिकायत निवारण का काम करेंगी, जिसमें एनबीएफ–प्रोफेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, वेब जर्नलिस्ट्स स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑनलाइन मीडिया– इंडियन डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रीवांस कॉउन्सिल आदि हैं। इसके आलावा यदि शिकायत इनके द्वारा हल नहीं होती है, तो वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन भेजी जा सकती है।

वेब पत्रकारिता में कॉपीराइट की चुनौती भी है, कई वेबसाइटें दूसरे की सामग्री को लेकर उसमे थोड़ा बहुत बदलाव करके अपनी वेबसाइट पर लगा देती हैं। कभी कभी तो हु ब हु! इसके अलावा गैर प्रशिक्षित लोग भी पत्रकारिता करने लगे है, जिससे पत्रकारीय गुणों पर भी सवाल उठता रहता है। मूल रूप से कहें तो वेब पत्रकारिता में समाचार मूल्यों, समाचार की योग्यता, विश्वसनीयता, व्यक्तिगत गोपनीयता, नैतिक मानक, खबरों को सनसनीखेज बनाने आदि पर भी प्रश्न चिह्न उठता रहता है।

## आवरण लेख :

# वेब पत्रकारिता ने महिलाओं के लिए खोले हैं संभावनाओं के दरवाजे

– डॉ० लीना
संपादक, मीडियामोरचा डॉट कॉम

हेमंत कुमारी देवी वर्ष 1888 में इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली महिलाओं की पत्रिका– 'सुगृहिणी' की संपादक बनी थीं। जब देश अंग्रेजी हुकुमत के फंदे में था और महिलाओं में निरक्षरता बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि अच्छे घरों की महिलाओं में भी साक्षरता की कमी थी, ऐसे में किसी महिला का आगे बढ़कर ना केवल पत्रकारिता में अपनी मजबूत दखल बनाना बल्कि संपादक की जिम्मेदारी तक पहुँच जाना मायने रखता है। हेमंत कुमारी देवी को देश की पहली महिला पत्रकार माना जाता है।

वहीं, 9 दिसंबर 1913 को जन्मी होमी व्यारावाला को भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार माना जाता है। होमी अपने लोकप्रिय उपनाम 'डालडा 13' से मशहूर रही हैं। 1930 में बतौर छायाकार अपना करियर शुरू करने के बाद होमी 1970 में स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गईं। होमी को, उनकी विशिष्ट उपलब्धियों को देखते हुए, 2011 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करें तो विद्या मुंशी को पहली महिला पत्रकार माना जाता है। मुंबई में जन्मी विद्या ने अनेक समाचार पत्र–पत्रिकाओं में सेवाएं दीं। 1952–62 के बीच वे रूसी करंजिया के चर्चित अखबार ब्लिटज की कलकत्ता संवाददाता रहीं। उन्होंने उस वक्त सरकार की नीतियों पर प्रभावी लेखन किया। खोजी पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने स्मगलिंग, अवैध उत्खनन के कई स्कूप उजागर किए।

कुछ ऐसे ही, भारतीय महिला पत्रकारों में विमला पाटिल संभवतः पहली महिला थीं जिन्होंने 'द टेलीग्राफ' से जुड़कर लेखिका, स्तंभकार और पत्रकार के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया। 1959 से 1993 तक वे लगातार संपादक और महत्वपूर्ण पदों पर रहीं। उन्होंने टाइम्स ग्रुप की पत्रिका 'फेमिना' को भी एक ब्राण्ड के तौर पर स्थापित कराया।

देश में हेमंत कुमारी देवी के 1888 ई० में संपादक बनने के 9 दशक बाद बिहार में महिला पत्रकार दिखाई देती हैं। 1980 के आसपास ही श्रुति शुक्ला पटना से छपने वाले 'सर्चलाइट' में थीं। बाकी अखबारों में कोई महिला नही थी।1986 ई० में ही 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'नवभारत टाइम्स' शुरू हुआ। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में शर्मिला चंद्रा और गायत्री शर्मा के साथ आईं, एक– दो और महिला पत्रकार थीं। 'नवभारत टाइम्स' में मणिमाला रिपोर्टर थीं। किरण शाहीन और इंदु भारती डेस्क पर। इंदु भारती की नौकरी कम समय ही रही लेकिन वे फ्रीलांसिंग करती रहीं।

1986 में 'हिंदुस्तान टाइम्स' और 'हिंदुस्तान' शुरू हुआ। 'हिंदुस्तान' में एक भी महिला पत्रकार नहीं थी। 'हिंदुस्तान टाइम्स' में श्रुति शुक्ला रिपोर्टिंग में और अनुजा सिप्रे डेस्क पर थी। निवेदिता इसी दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी थीं।1992 के आसपास 'हिंदुस्तान' में पहली बार सरिता डेस्क पर आई। इसके बाद ज्यादा संख्या में लड़कियां 2000 ई० में गिरीश जी के कार्यकाल में जुड़ी। दैनिक अखबार छोड़ दें तो 75–80 में गोलघर के पास से युवाओं की एक मासिक पत्रिका निकलती थी – 'कृतसंकल्प'। इसमें सुमन सरीन और मंजू दुबे थीं। बाद में सुमन सरीन धर्मवीर भारती के कार्यकाल में ही 'धर्मयुग' में भी रहीं। श्रुति शुक्ला ही बिहार की पहली महिला पत्रकार रहीं होंगी।

भारत में 1780 में पहला अखबार छपने के बाद भी दो सदी तक का ये वो दौर था जब मीडिया क्षेत्र में महिलाओं की गिनती उंगलियो पर थी। अब मीडिया–जगत का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ महिलाएं आत्मविश्वास और दक्षता से मोर्चा नहीं संभाल रही हों। पिछले कुछ सालों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट पत्रकारिता की दुनिया में महिला स्वर प्रखरता से उभरें हैं। प्रिंट मीडिया में रिपोर्टिंग व डेस्क दोनों ही जगह हम उनको पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी महिलाओं को हम स्क्रीन और उसके पीछे भी देखते हैं। यहाँ हम बड़े बड़े महिला नामों को बखूबी पहचानते हैं।

बावजूद इसके कि पिछले 25 सालों में महिला पत्रकारों की संख्या बढ़ी है, रिपोर्टिंग में अभी भी दो–तीन फीसदी महिला पत्रकार ही हैं। विभिन्न कारणों से पत्रकारिता

का क्षेत्र अभी भी महिलाओं के लिए दुरूह ही बना हुआ है। लेकिन इन सबसे इतर वेब पत्रकारिता ने आज महिलाओं को एक वृहद् मंच उपलब्ध कराया है, उन्हें अवसर प्रदान किया है। यह पत्रकारिता जगत में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है।

पिछले कुछ वर्षों में वेब पत्रकारिता ने महिलाओं को व्यापक मंच उपलब्ध कराया है। वे बड़े मीडिया हाउस के इ–संस्करण में तो हैं ही, वे वेब पोर्टल चला रही हैं, यूट्यूब चैनल चला रही हैं, उनमें काम भी कर रही हैं। यहाँ पर लड़कियाँ एंकरिंग कर रही हैं, रिपोर्टिंग कर रही हैं, वॉइस ओवर कर रही हैं, एडिटिंग– वीडियो एडिटिंग कर रही हैं। सिर्फ बड़े नाम नहीं बल्कि छोटे–छोटे मीडिया हाउस में, यूट्यूब चैनल में लड़कियां आगे आ रही हैं। कम संसाधन में भी वेब पत्रकारिता से वे स्वयम जुड़ सकती हैं, अपना पोर्टल चला सकती हैं। हालाँकि यहाँ भी चौतरफा चुनौतियां हैं। उपार्जन इनमें से एक है। कुछेक पोर्टल को छोड़ दें तो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपेक्षा यहाँ वेतन काफी कम ही होता है, श्रम अधिक करना होता है।

फिर भी वे और अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो रही हैं। पत्रकारिता जगत की बड़ी हस्तियाँ रही महिलाएं वेब पत्रकारिता से जुड़ रही हैं, तो वहीं पत्रकारिता की पढ़ाई करके निकली नई पौध भी यहाँ जमने की कोशिश। मीना कोटवाल आज एक जानी–मानी नाम है जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से देश– विदेश में भी नाम कमाया है।

हम कह सकते हैं कि वेब मीडिया ने लड़कियों के लिए संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए और इन्हीं की वजह से आज पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं को हम भारी संख्या में देख सकते हैं।

# सामरिक/ऐतिहासिक/पर्यटन : बिहार की विरासत को देखें और बिहार को जानें

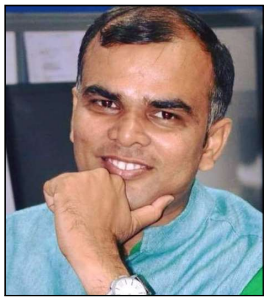

– रविशंकर उपाध्याय, पटना

इन दिनों बिहार की विरासत स्थलों की ब्रांडिंग का एक विज्ञापन सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस वीडियो में एक्टर जब पहली बार बिहार आता है तो यहाँ के विरासत स्थलों का भ्रमण करता है। वह बिहार को नालंदा, बोधगया, वैशाली, गंगा के जरिये जानने समझने की कोशिश करता है और अंत में सभी को संदेश देता है कि जब तक बिहार आइएगा नहीं, तब तक बिहार को जानिएगा नहीं। संदेश स्पष्ट है, बिहार में जब तक विरासत स्थलों का विहार नहीं करेंगे तब तक बिहार को सचमुच में नहीं जान पाएंगे क्योंकि बिहार में कदम कदम पर विरासत बिखरे पड़े हैं, जो न केवल हमारे गर्व का हिस्सा हैं बल्कि वह हमारी पहचान से भी जुड़ा हुआ है। प्रदेश के विभिन्न भागों में मूर्त एवं अमूर्त विरासतों का संरक्षण कर मौजूदा के साथ ही नयी पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है ताकि वह इस पर नाज कर सकें। राज्य में छह हजार से भी ज्यादा विरासत चिह्नों को खोजा जा चुका है। इन्हीं स्थलों में से एक सौ उन्नीस स्थलों एवं स्मारकों को सुरक्षित भी किया गया है। बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व अधिनियम, 1976 के अंतर्गत 48 ऐतिहासिक स्थलों एवं स्मारकों को बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा सुरक्षित घोषित किया गया है तथा भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिनियम के तहत प्रदेश में 71 स्थलों को सुरक्षित किया गया है।

बोधगया और नालंदा वि0वि0 के अवशेष यूनेस्को द्वारा हैं। बिहार में दो हेरिटेज साइट्स यूनेस्को द्वारा संरक्षित हैं वहीं कुछ इसमें शामिल होने की कतार में भी हैं। यूनेस्को ने गया जिले में स्थित बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स को वर्ष 2002 में विश्व विरासत की सूची में लाया था। इस सूची में प्रदेश का दूसरा स्थल नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष हैं जिसे 2016 में सूचीबद्ध किया गया था। विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने के लिए प्रदेश में अभी कई अति महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो सम्पूर्ण विश्व में अपनी अलग पहचान रखते है। इनमें प्रमुख है नालंदा जिले के ही राजगीर में स्थित 'साइक्लोपियनवाल' और जहानाबाद जिले में स्थित बराबर एवं नागार्जुनी की गुफाएं

बिहार में 48आर्कियोलॉजिकलसाइट्स हैं संरक्षित

बक्सर में राजा भोज के भग्नावशेष से लेकर मोतिहारी में जॉर्जऑरवेल के जन्म स्थान तक बिहार पुरातत्व विभाग ने करीब 13 पुरातत्व स्थलों को पिछले दस वर्षों के अंदर अपने दायरे में लिया है. राज्य के पुरातत्व निदेशालय के शीर्ष अधिकारियों के मुताबिक, बिहार प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल भग्नावशेष एवं कला निधि अधिनियम, 1976 के तहत संरक्षित स्मारकों की कुल संख्या 48 हो गई है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'अरवल जिले के लारी इलाके में स्थित एक प्राचीन टीले को हाल में संरक्षित घोषित किया गया है. इसके लिए पिछले वर्ष सितंबर में अधिसूचना जारी की गई थी. ' इस सूची में उपनिवेशकालीन जमुई जिले का घंटा घर भी शामिल है.बिहार के पुरातत्व विभाग की तरफ से साझा किए गए आंकड़े के मुताबिक 230 वर्ष पुराना ऐतिहासिक गोलघर उन प्रथम छह स्मारकों में शामिल है जिसे 1976 में संरक्षित घोषित किया गया था. पांच अन्य ऐतिहासिक स्थल हैं. अगमकुआं और गुलजारबाग का कमलदह जैन मंदिर, बेगू हज्जाम की मस्जिद और पटना सिटी की छोटी पटन देवी औरकंकड़बाग का दुरूखी प्रतिमा. वर्ष 2016 में बक्सर जिले के डुमरांव स्थित राजा भोज के भग्नावशेषों को पुरातत्व विभाग के दायरे में लाया गया जबकि मधुबनी के दवालखा गांव के हरेश्वर नाथ मंदिर को 2015 में इस सूची में शामिल किया गया.

ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स है संरक्षितः
गोलघर, पटना
अगम कुआं गुलजार बाग, पटना सिटी
बेगू हज्जाम की मस्जिद गुलजारबाग, पटना सिटी
जैन मंदिर, कमलदह गुलजारबाग, पटना सिटी
दो रूखी प्रतिमा कंकड़बाग, पटना
छोटी पटन देवी पटना सिटी

अलावल खां का मकबरा सासाराम
सूर्य मंदिर, कन्दाहा सहरसा
कटरा गढ़ मुजफ्फरपुर
नेपाली मंदिर हाजीपुर
खेरी पुरातत्व स्थल शाहकुंड, भागलपुर
महमूदशाह का मकबरा कहलगांव, भागलपुर
जलालगढ़ किला कसबा, पूर्णिया
आरा हाउस, महाराजा कॉलेज हाता आरा
चौसागढ़ नसरतपुर, बक्सर
दाउद खां का किला दाउदनगर, औरंगाबाद
रामशिला पर्वत गया
प्रेतशिला पर्वत चिरैयारोड, बहादुर बिगहा
विष्णुपद मंदिर गया
ब्रह्मयोनि पहाड़ गया
हजारीमल धर्मशाला बेतिया
मीरा बिगहाजहानाबाद
बाबू कुंवर सिंह जन्म स्थल भोजपुर
जामी मस्जिद वैशाली
मसहीकैमूरकैमूर
मुंगेर किला मुंगेर
चिरांद पुरास्थल सारण
तारा डीह बोध गया
निशान सिंह स्मारक रोहतास
अपसढ़ गढ़ व वराह प्रतिमा नवादा
पार्वती पहाड़ नवादा
जार्ज ऑरवेल की जन्म स्थली मोतिहारी
टेकारी किला गया
अहिल्या स्थान दरभंगा
तेल्हाड़ा नालंदा
सोफा मंदिर बेतिया
मॉरिशन बिल्डिंग पटना
लॉर्ड मिंटोटावर जमुई
हरेश्वरनाथ मंदिर मधुबनी
राजा भोज का किला नवरतन गढ़, बक्सर
लारी अरवल
कोटेश्वर धाम गया
लाली पहाड़ी लखीसराय
सतसंडा पहाड़ लखीसराय
घोषीकुंडी पहाड़ लखीसराय
बिछवे पहाड़ लखीसराय
लय लखीसराय

# विरासत :
# दो शख्सियत : खुदा बख्श खाँ और ब्रज किशोर प्रसाद

**– बाल कृष्ण**
वेब पत्रकार
उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश कमिटि
वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया।

## खुदा बख्श खाँ

पटना स्थित खुदा बख्श ओरिंएंटल पब्लिक लाईब्रेरी किसी परिचय का मोहताज़ नहीं। कभी पूर्वी भारत का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले पटना विश्वविद्यालय के समीप अशोक राजपथ पर स्थित इस पुस्तकालय एवं वाचनालय ने देश को हजारों की तादाद में सिविल सेवा अधिकारी, उच्च पदासीन शख्सियत और स्कॉलर दिए हैं। यहाँ कई ख्यातनाम लोगों ने अपना शोध कार्य सम्पन्न किया है।

खुदा बख्श खाँ का जन्म 1842 में छपरा में हुआ था। इनके पिता मोहम्मद बख्श खाँ को पढ़ने का काफी शौक था। बख्श खाँ के पुत्र खुदा बख्श खाँ ने वकालत के पेशे को चुना। कालांतर में वो न्यायिक सेवा से जुड़े और 1874 में हैदराबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। उन्होंने अपने वालिद द्वारा संचित अरबी–फारसी के 1400 हस्तलिपियों के संग्रह को आगे बढ़ायां सन् 1891 तक इनकी संख्या 4000 हो गईं। 5 अक्टूबर 1891 को बंगाल के तत्कालीन गवर्नर सर चार्ल्स इलियट ने इसे सार्वजनिक किया। 1969 में संसद ने 'खुदा बख्श ओरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट' बना कर इसे राष्ट्रीय महत्त्व के पुस्तकालय का स्वरुप प्रदान किया। सम्प्रति इस पुस्तकालय में नियमित तौर पर कई विधाओं में शोध कार्य किए जाते हैं जिनमें अरबी फारसी और ऊर्दू साहित्य के अलावा इस्लामी अध्ययन, विभिन्न संप्रदायों का तुलनात्मक अध्ययन, ग्रीक चिकित्सा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन आदि मुख्य हैं।

वर्तमान में यहाँ ढाई लाख विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों के अलावा इक्कीस हजार से ज्यादा हस्तलिपियाँ मौजूद हैं।

## ब्रज किशोर प्रसाद

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान योद्धा और महात्मा गाँधी के अनन्य सहयोगी बाबू ब्रज किशोर प्रसाद का व्यक्तित्व और कृतित्व ख्यातनाम है। ब्रज किशोर बाबू का जन्म 1877 में सीवान के श्रीनगर गाँव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा छपरा और पटना में हुई। तदंतर कलकत्ता प्रेसीडेंसी कॉलेज से पढ़ाई समाप्त कर वकालत के पेशे में आए, दरभंगा में वकालत के पेशे का प्रारंभ किया। आपकी शादी फूलदेवी से हुई। आपकी सुपुत्री प्रभावती देवी की शादी लोकनायक जय प्रकाश नारायण से तथा दूसरी पुत्री विद्यावती देवी की शादी देशरत्न डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद के पुत्र मृत्युंजय प्रसाद से हुई थी।

महात्मा गाँधी से इनकी मुलाकात 1915 में हुई और इस मुलाकात ने इनके जीवन की दिशा ही बदल दी। पहले चम्पारण आंदोलन से जुड़े फिर वकालत छोड़ कर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गए। महात्मा गाँधी को बिहार आने के लिए इन्होंने तैयार किया। महात्मा गाँधी ने अपनी आत्मकथा में इन्हें सभ्य बिहारी कहा है। इनकी प्रेरणा से ही बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। आपकी स्मृति में श्री ब्रज किशोर स्मारक प्रतिष्ठान की स्थापना की गई जिसका शिलान्यास देशरत्न डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद के कर कमलों से हुआ। इस भवन का निर्माण लोकनायक जय प्रकाश नारायण द्वारा बिहार निर्माता स्मारक कोष से हुई जिसका लोकार्पण आचार्य जे0 पी0 कृपलानी ने किया।

## कलाः

# संगीतः उत्पत्ति, रुप और विकास

**– कंचन बाला**
संगीत शिक्षिका
सारण एकेडमी प्लस टू हाई स्कूल, छपरा

"सम्यक् प्रकारेण यद्गीयते तत् संगीतं अर्थात् सम्यक् प्रकार से जिसे गाया जा सके वही संगीत है या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि "स्वर, ताल, लय, शुद्ध उच्चारण, हाव–भाव और शुद्ध मुद्रा में गाया जाने वाला शब्द ही संगीत है"। वास्तव में संगीत मानवीय अन्तर्भावों की लय और तालबद्ध अभिव्यक्ति है। संगीत की सबसे प्रचलित और स्थापित परिभाषा पं0 शारंग देव ने तेरहवीं शताब्दी में अपनी पुस्तक संगीत रत्नाकार में कुछ इस प्रकार दी है– "गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं संगीत मुच्यते"। अर्थात गायन वादन तथा नृत्य इन तीनों कलाओं का सम्मिलित रुप ही संगीत है परन्तु भारतीय संगीत का अध्ययन करने के पश्चात् यह दृष्टिगत होता है कि इन तीनों कलाओं में गायन ही प्रधान है वादन और नृत्य तो इसके अनुगामी हैं अर्थात साथ चलने वाले हैं।

वर्त्तमान समय में संगीत का ये जो रुप हम सबों के सामने है यह इस युग की देन नहीं बल्कि इसका संबंध भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल से जुड़ा हुआ है। वैदिक काल में ही इसका बीज पड़ चुका था। सामवेद उन वैदिक ऋचाओं का संग्रह है जो गाने योग्य हैं, गेय हैं।

### भारतीय संगीत की उत्पत्ति

भारतीय संगीत की उत्पत्ति धार्मिक प्रेरणा से हुई है और इसकी प्रेरणा का आधार वेद है और वेदों का मूलमंत्र ऊँ अर्थात अ उ म् ये तीनों अक्षरों क्रमशः ब्रह्मा सृष्टिकर्त्ता, विष्णु पालन कर्त्ता, महेश संहारकर्ता की शक्तियों के द्योतक हैं। प्राचीनकाल से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व ही संगीत के महत्त्व को स्वीकार करता रहा है। सभ्यता के केन्द्र जैसे यूनान, रोम, चीन में जीवन चर्या को शांत, संयमित और सुव्यवस्थित रखने के लिए संगीत को महत्त्वपूर्ण माना गया है। चीन के महान दार्शनिक और शिक्षक कंफ्युसियस ने तो चीन में संगीत की शिक्षा को एक विषय के रुप में अनिवार्य कर दिया। यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा कि – ''समस्त विज्ञानों का मूलाधार संगीत ही है और इसकी उत्पत्ति विश्व की वर्त्तमान विध्वंशकारी प्रवृत्तियों के निराकरण के उद्देश्य से ईश्वर द्वारा हुई। फिलॉस्फर किंग की स्थापना में प्लेटो प्रारंभिक शिक्षा को संगीत और योग से जोड़ते हैं।

भारतीय विद्वानों के अनुसार संगीत के माध्यम से चारो पुरुषार्थों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। संगीत पूज्य है श्रेष्ठ है पवित्र है। संगीत एक प्रकृति तत्व है जिसका संबंध आत्मा से है और आत्मा ब्रह्म का अंश है। श्रमद्भागवत में भगवान श्रीकृष्ण स्वयं स्वीकारते हैं कि "वेदानां सामवेदोस्मि" अर्थात् वेदों में संगीत रुपी सामवेद मेरा ही स्वरुप है।

एक और किंवदंत्ती प्रचलित है कि सृष्टिकर्त्ता ब्रह्मा ने सरस्वती को देवी सरस्वती ने महर्षि नारद को और नारद ने भरत मुनि को विधिवत् संगीत की शिक्षा दे कर धरती पर भेजा और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की जिसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई।

### संगीत के रुप

प्राचीन काल मेंसंगीत के दो रुप प्रचलित हुए मार्गी या मार्ग और देशी। मार्गी संगीत ऋषि महात्माओं का संगीत के माध्यम से ईश्वर साधना का मार्ग था जो क्रमशः सभ्यता के विकास के साथ लुप्त होता गया और देशी संगीत विकसित हो कर दो रुपों में बँटा– शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत संगीत साधक–कलाकारों की साधना का प्रतिफल है जो अत्यंत नियमबद्ध और श्रेष्ठ संगीत है। लोक संगीत काल और स्थान के अनुरुप प्रकृति के स्वच्छंद वतावरण में स्वाभाविक रुप से कंठ से कंठ प्रवहमान होता हुआ अपने विकास के क्रम को जारी रखता है।

### संगीत का विकास

वैदिक ऋचाओं से निकला भारतीय संगीत निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहा। गायन वादन नर्तन करते हुए गंधर्वों और कत्थकों द्वारा जीविकोपार्जन करने के प्रमाण का उल्लेख कई जगह मिलता है। महाकवि कालिदास ने भी वीणा, वेणु, मृदंग, दुदुंभी आदि वाद्ययंत्रों की चर्चा की है भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में संगीत का अत्यंत सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत किया है। उस समय गायन वादन और नृत्य के साथ

नाट्यकला भी संगीत का ही अंग हुआ करता था। इन उदाहरणों को देखने से पता चलता है कि विक्रम संवत के आरंभ तक गायन वादन और नृत्य का विकास हो चुका था।
आधुनिक काल में गायन विधा को केन्द्र में रख कर विद्वानों द्वारा संगीत के कई महत्त्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की गई जैसे बारहवीं शताब्दी में लोचन कवि की 'राजतरंगिणी', तेरहवीं शताब्दी में पंडित शारंगदेव द्वारा रचित 'संगीत रत्नाकर' जो संगीत का आदि ग्रंथ है। पंद्रहवीं शताब्दी में सोमनाथ का 'राग विबोध', दामोदर मिश्र का 'संगीत दर्पण', अहोबल का 'संगीत पारिजात', भावभट्ट का 'अनुपम विलास', 'अनुपांकुश' आदि संगीत के महत्त्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई।

इस्लाम धर्म में संगीत को अपवित्र और त्याज्य समझने के कारण मध्ययुग में संगीत का समुचित विकास नहीं हो पाया परन्तु अलाऊद्दीन खिल्जी के शासनकाल में अमीर खुसरो ने संगीत में अनेक प्रयोग किए जैसे पखावज को दो हिस्सों में बाँट कर तबले का निर्माण, सितार का निर्माण, गायकी में कव्वाली और तराना का आविष्कार, ताल के विभिन्न रुपों का प्रयोग आदि।

मुगल शासकों में विशेषकर अकबर के काल में संगीत अपनी ऊंचाईयों को छूने लगी। संगीत सम्राट तानसेन ने ध्रुपद गायकी को नए आयाम दिए। अवध के शिया नवाबों से भी संगीत को बहुत प्रोत्साहन मिला। ये नवाब सिर्फ संगीत प्रेमी ही नहीं बल्कि स्वयं कई विधाओं में प्रवीण भी थे। इसी समय में मोहम्मद रजा ने 'नग्म–ए–अस्फी' की रचना की जिसमें पहली बार काफी की जगह शुद्ध 'विलावल थाट' की व्याख्या की गई।

19 वीं शताब्दि में एक और महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 'संगीत कल्पद्रूम' की रचना कृष्णानन्द ब्यास के द्वारा की गई यह समय भारत में नवीन सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय था जिसके अग्रणी राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, हेनरी विलियम डिजोरियो, माईकेल मधुसूदन दत्त, भारतेन्दु हरिश्चंद्र, दीनबंधु मित्रा आदि भिन्न–भिन्न क्षेत्रों की महान हस्तियाँ थीं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा था तो भारतीय संगीत की पुनर्स्थापना का प्रारंभ हो गया जिसका श्रेय 19 अगस्त 1850 में मुंबई के एक कलर्क के घर में पैदा हुए विष्णु नारायण भातखंडे जी को जाता है जिन्होंने दस थाटों से समस्त रागों की उत्पत्ति के सिद्धांत को स्थापित किया और वर्तमान स्वरलिपि पद्धत्ति को प्रारंभ किया जिसे हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत का अमूल्य योगदान माना जाता है।

भातखंडे जी के बाद भारतीय संगीत को नया जीवन देने का श्रेय विष्णु दिगम्बर पलुष्कर जी को जाता है जिन्होंने कांग्रेस के मंच से वन्दे मातरम तथा 1930 में गाँधी जी की दाण्डी यात्रा में रामधुन रघुपति राघव राजा राम का भी गान किया।

वर्तमान संगीतज्ञों में पं0 रविशंकर, भीमसेन जोशी, हरि प्रसाद चौरसिया, विस्मिल्लाह खाँ, लता मंगेशकर, पं0 जसराज जैसे अनगिनत नाम हैं जिनकी बदौलत भारतीय संगीत अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त कर रहा है।

## संस्कृति

# देव का सूर्य मंदिर और छठ पूजा

– डा0 अमित रंजन
सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग
रामजयपाल महाविद्यालय, छपरा)

बिहार का महापर्व कहलाने वाला छठ कब का इस राज्य की सीमाओं को लॉघकर राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर चुका है । कभी बिहार का लोक पर्व कहलाने वाले छठ को आज कमोबेश भारत के लगभग सभी हिस्सों में मनाते हैं । नेपाल, मॉरीशस और फिजी तक में अपनी पहुँच बनाने वाले इस पवित्र त्यौहार की चर्चा तो अक्सर होती है किंतु आज हम जिस स्थान के छठ पूजा की बात करने वाले हैं वह है बिहार के औरंगाबाद जिले के देव की छठ पूजा ।

औरंगाबाद शहर से 10 किलोमीटर दक्षिण–पूर्व में स्थित एक छोटा सा स्थान है देव जहाँ अत्यंत प्राचीन सूर्य मंदिर है । इस मंदिर में छठ करने का विशिष्ट महत्व है । शायद यही कारण है प्रतिवर्ष छठ करने के लिए यहाँ लगभग 10 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं ।

देव के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन गया–दीनदयाल उपाध्याय रेल मार्ग पर पड़ने वाला अनुग्रह नारायण रोड है जो देव से लगभग 20 किलोमीटर दूर है । वहीं निकटतम हवाई अड्डा लोकनायक जयप्रकाश हवाई अड्डा पटना है । पटना से यह सड़क मार्ग से जुड़ा है और लगभग 160 किलोमीटर दूर है।

**क्या है मंदिर का इतिहास :**

भारतीय सदा से अपने इतिहास को लेकर लापरवाह रहे हैं । यही कारण है कि हमारे अतीत पर मिथक का मुलम्मा अत्यंत आसानी से चढ़ा दिया जाता है जिसके कारण इतिहास मिथक के आवरण में कहीं दुबक सा जाता है । देव के सूर्य मंदिर के इतिहास के संदर्भ में भी यही सत्य है । इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, इस विषय में सटीक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मंदिर के बाहर अवस्थित ब्राह्मी लिपि में लिखे गए शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण त्रेता युग के 12 लाख 16 हजार वर्ष बीत जाने के बाद इला के पुत्र पुरुरवा राजा ऐल ने किया था । इस गणना के अनुसार सन 2023 ईसवी में यह लगभग एक लाख पचास हजार 20 वर्ष पुराना है। कहते हैं इसका निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने एक रात

में किया था ।

मिथकों से हटकर समय–समय पर अनेक पुरातत्वविदों एवं विद्वानों ने इस मंदिर के इतिहास को खोजने का प्रयास किया और सभी विद्वान इसी निष्कर्ष पर पहुंचे की मंदिर अत्यंत प्राचीन है । औरंगाबाद जिले के सरकारी वेबसाइट के अनुसार उमगा के चंद्रवंशी राजा भैरवेंद्र सिंह द्वारा इसे 15वीं शदी में बनाया गया ।

मंदिर तकरीबन 100 फीट ऊंचा है जिसमें सात घोड़े वाले रथ पर भगवान सूर्य सवार हैं । इसके गर्भ गृह के मुख्य द्वार पर दाईं ओर भगवान शंकर जबकि बाईं ओर भगवान सूर्य की प्रतिमा है।

देव का सूर्य मंदिर एकमात्र ऐसा सूर्य मंदिर है जो पश्चिमाभिमुखी है । इसके पश्चिमाभिमुखी होने को लेकर भी जनश्रुति है और वह यह है कि 'काला पहाड़' नामक आक्रांता मंदिरों को लूटता हुआ यहाँ पहुँचा । आम जन ने अपनी आस्था व मंदिर की शक्ति का वास्ता देकर इसे न तोड़ने की प्रार्थना की । तब 'काला पहाड़' ने कहा कि यदि कल सुबह तक इस मंदिर का मुख पूर्व से बदलकर पश्चिम हो जाएगा तो मैं इसे नहीं तोडूंगा । कहते हैं कि अति आत्मविश्वास से चूर 'काला पहाड़' अगली सुबह जब मंदिर तोड़ने आया तो यह पश्चिमाभिमुखी हो चुका था । इस मंदिर से और भी कई जनश्रुतियाँ जुड़ी हैं । ऐसी ही एक मजेदार जनश्रुति एक चोर के पत्थर बन जाने की है जो मंदिर का सोना चुराने आया था ।

**देव के सूर्य मंदिर की छठ पूजा :**

एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व मनाने की शुरुआत देव के इसी सूर्य मंदिर से हुई । शुरुआत चाहे जहाँ से हुई हो किंतु इस स्थान पर छठ करने का अपना ही महत्व है । साल में दो बार अर्थात चैत और कार्तिक मास में छठ व्रत मनाया जाता है जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं । नहाए खाए से शुरू होकर पारण तक कुल 4 दिनों तक देव में मेला का आयोजन होता है जिसमें धार्मिक महत्व की सामग्री से लेकर तमाम खेल– खिलौने, छोटे–छोटे दुकानों पर उपलब्ध होते हैं । छठ व्रत में दूसरा दिन 'खरना' होता है जिसमें शाम को घर पर बने खीर का प्रसाद बाँटा जाता है । दूर देश से आए श्रद्धालु सपरिवार मिलकर खीर बनाते हैं । तीसरे दिन शाम को सूर्य को अर्घ्य समर्पित किया जाता है । जग मान्यता, जिसके अनुसार दुनिया उगते हुए सूर्य को सलाम करती है डूबते को कोई नहीं पूछता, के ठीक विपरीत छठ पर्व दुनिया के सामने डूबते सूर्य की आराधना का उदाहरण प्रस्तुत करता है ।

देव में कुल तीन विशाल जलकुंड हैं जिन्हें क्रमशः राजा का तालाब, रानी का तालाब और डोम का तालाब के नाम से जाना जाता है । इन तीनों तालाब में राजा का तालाब सूर्य मंदिर के सबसे करीब है । कहा जाता है कि राजा इसी तालाब में स्नान कर सूर्य मंदिर में पूजा करने जाते थे । वर्तमान में इन्हीं जलकुंडों में अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है । छठ व्रत के चौथे और अंतिम दिन उदयाचल सूर्य को पुनः उन्हीं तालाबों में अर्घ्य समर्पित किया जाता है । तदुपरांत छठ व्रतधारिणी 36 घंटे का अपना उपवास तोड़ती हैं और प्रसाद ग्रहण करती हैं ।

**समस्याएँ :–**

अपनी सफाई और परम शुद्धता के लिए जाना जाने वाला छठ पर्व जिस देव नामक स्थान पर मनाया जाता है वह छठ के समय गंदगी से भर जाता है । रहने की समुचित व्यवस्था न होने के कारण छठ व्रतधारी और श्रद्धालु पास के खेतों, सड़क के किनारे, स्कूल के प्रांगण, छतों, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन के प्रांगण तक में सोने, रहने को विवश होते हैं । आसपास के निजी रहवासी छठ के चार दिनों के आवास का किराया 10 से 15,000 रुपये तक वसूलते हैं । इतने पर भी यदि इनकी बुकिंग छठ व्रत प्रारंभ होने के डेढ़ से दो माह पूर्व नहीं की गई तो इनका मिलना भी मुश्किल होता है । यहाँ शुद्ध पेयजल और शौचालयों का घोर अभाव है । साथ ही जिन दो तालाबों में छठ व्रतधारी सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, उसका जल अत्यंत ही गँदला हो जाता है । व्रत समाप्ति बाद वापस लौट के क्रम में भीषण जाम का सामना करना पड़ता है ।

अतः सरकार को चाहिए कि वह समुचित आवास, शौचालय, पेयजल और साफ सफाई की व्यवस्था करे, ढेर सारे पहुँच मार्ग बनाए जिससे यहाँ छठ करने आने वाले श्रद्धालुओं को अवांछित कष्टों का सामना न करना पड़े तथा देव का सूर्य मंदिर और यहाँ होने वाली छठ पूजा को वह सम्मानजनक स्थान मिले जिसकी वह अधिकारिणी है । वर्तमान में बिहार में शायद ही कोई ऐसा स्थान/मेला है जहाँ एक नियत समय पर इतनी भीड़ होती है । सरकार यदि अवसंरचनात्मक उन्नयन की दिशा में गंभीरता पूर्वक विचार करे तो वह दिन दूर नहीं जब देव का छठ पूजा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करेगा । कौन जाने यह यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर में भी शामिल हो जाए। अस्तु ।

# संस्कृति के उदात्त तत्वः
# गाली देना अपराध, गाना सम्मान

– उदय नारायण सिंह
स्वतंत्र लेखक और लोक गायक

शब्दों का जाल हैं गालियाँ, संस्कृति का कमाल हैं गालियाँ। गाली है तो सासु है, ससुर है, साला है, साली है, वरना मन अधूरा और खाली खाली है। शब्दों की फुलझड़ी से सज कर सुखद झरने का अहसास भी देती है गाली तो एक विस्फोटक तत्व भी है जिसके श्रवण मात्र से तन–बदन में आग लग जाए। गालियाँ चाहें तो घर–परिवार बस जाएँ और अगर चाहें तो गाँव के गाँव उजड़ जाएँ। भारतीय संस्कृति की अनेकता में एकता के सिद्धांत को जीवंत रखने वाली कई तत्वों में से एक है गाली।

पूर्ववर्ती साहित्यों, ग्रंथों में भी इसकी चर्चा है। इसने प्राचीन युगों से हमारी संस्कृति के साथ याराना निभाया है। त्रेता युगीन लोक मानस के रीति–रिवाजों की चर्चा करते हुए कवि श्रेष्ठ गोस्वामी तुलसी दास जी ने अपने महाकाव्य 'रामचरित मानस' में जनकपुर के दृश्य को उकेरते हुए इसके मधुर प्रभाव की चर्चा की है– "जेंवत देहि मधुर धुन गारी। ले ले नाम पुरुष अरु नारी।" अर्थात् भोजन करते समय लोगों के परस्पर संबंधों के आधार पर स्त्री और पुरुषों के नाम ले–लेकर जनकपुर की महिलाएँ अयोध्या से आई बारात के बारातियों को गाली दे रही हैं। वहीं महर्षि वेदव्यास ने द्वापर युगीन परम्परा की चर्चा कर गाली के तीखे प्रभाव को उद्घाटित किया है, शिशुपाल द्वारा महानायक श्रीकृष्ण को निन्यानवे गालियाँ देने के बाद भी प्राण दान देना और सौवीं गाली पूरी होते ही चक्र सुदर्शन से गला काट लेना, गाली के प्रभाव और इसकी सांस्कृतिक यात्रा का ही उदाहरण है। यह द्वापर में था, त्रेता में भी था, शायद यह हमारे पुरखों–पूर्वजों के साथ उसी समय से जुड़ा आ रहा है जब अक्षरों ने शब्द और शब्दों ने अर्थ का रुप लिया होगा।

भारतीय लोक संस्कृति में गाली के स्वरुप पर अध्ययन के पश्चात् एक चौंकाने वाला तथ्य उभर कर आया है. यहाँ की संस्कृति में गाली देना एक अपराध है तो गाली गाना एक रस्म है, रिवाज है, एक सम्मान है। यहाँ गाली देने वाले को सम्मान दे कर विदा करते हैं। जहाँ गाली गाने वाला सम्मानित होता है तो वहीं गाली सुनने वाला गर्व से सीना चौड़ा कर, छाती ठोक कर अपने–अपने घर शान बघारते हुए गाली की चर्चा करता है। यह रस्म एक सामाजिक प्रतिष्ठा के रुप में मान्यता प्राप्त है। एक पारम्परिक भोजपुरी गीत में नाईन (हज्जाम की पत्नी) प्रभु राम से गाली गाते हुए एक प्रश्न पूछती है– "हँसी–हँसी पूछेली नाईन बचनिया, बबुआ बोलीं ना। एक भाई सांवर एक भाई गोर काहें बोलीं ना।।" अब जरा इसका भिन्न–भिन्न प्रभाव देखिए, जनकपुर के जनवासे में नाईन के इस प्रश्न पर जहाँ लक्ष्मण क्रोधित हो सरासर तान लेते हैं तो वहीं प्रभु राम हँसते हुए उसे मुद्रिका दे कर सम्मानित करते हुए इस पुरातन रस्म को स्वीकृति प्रदान करते हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि यहाँ निम्न से निम्नतर जातियाँ भी शीर्ष के लोगों को रिश्ते के आधार पर गालियाँ दे सकती हैं, जिसे लोक–समाज–संस्कति बुरा नहीं मानती। एक अद्भुत और अनूठा तत्व बन कर उभरती है गाली जो समरसता, भाईचारा, परस्पर प्रेम की भावना को जीवंत रुप से उद्घाटित करता है।

इस गाली के प्रभाव में मनुष्य तो मनुष्य जानवर के भी प्रभाव में आने उदाहरण लोक संस्कृति में भरे पड़े हैं। ससुराल के रिश्ते का आधार गदहा बनता है, जब बच्चे के मामा को गदहा कहा जाता है। गदहा साला, कौआ मामा, बिल्ली मौसी, और बकरों क्या कसूर हैं, यह तो कमाल है गाली का। गाली से मन के विषाक्त भाव दूर हो जाते हैं, ऐसा एक मनोचिकित्सक कहते हैं। शायद यही कारण है कि सूक्ष्म और अंतरंग रिश्तों की दीवार को गाली दे कर ही बचाया जाता रहा है। जीजा–साली, देवर–भाभी, ननद–भउजाई–समधी–समधन, जैसे रिश्तों के लिए तो गाली अमृत की तरह है, जिसके सेवन मात्र से शरीर में स्फूर्ति और ताजगी आ जाती है।

भारतीय कानून में गाली देना (एब्यूज) एक संज्ञेय अपराध है, इसे मानहानि माना जाता है और सश्रम कारावास और अर्थदंड की व्यवस्था है। कितने राजनयिक इस गाली के चक्कर में राजगद्दी छोड़ चुके हैं, ऐसी तासीर है इसकी।

इतना तो स्पष्ट है कि यह अद्भुत सांस्कृतिक तत्व निश्चित ही बदलते परिवेश में चिन्तातुर होगा। दिलों को तोड़ने से बेहतर है दिलों को जोड़ना और यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है।

(लेखक बिहार के प्रख्यात् लोक गायक और लोक संस्कृति मर्मज्ञ हैं।)

## भाषा :

# भोजपुरी की डिजिटल दुनिया

**– मनोज भावुक**
लेखक मनोज भावुक प्रख्यात साहित्यकार, संपादक,
सुप्रसिद्ध कवि एवं टीवी पत्रकार हैं– संपादक

'इंडिया टुडे; ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कली पुरी ने हाल ही में 'इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई 2023' के दौरान ग्रुप के पाँच नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स लॉन्च किए। ये एंकर्स मराठी, हिंदी, भोजपुरी, बंगाली और अंग्रेजी भाषा में नियमित खबरों की अपडेट देंगी।

बात भोजपुरी की करते हैं। अपने देश में मान्यता नहीं है। मॉरीशस में मान्यता मिल चुकी है। भारत में आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संघर्ष जारी है। लेकिन भोजपुरी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर तैयार है। समझिए कि भोजपुरी कहाँ पहुँच चुकी है। यहाँ हम अश्लीलता–अश्लीलता गरिया–बतिया रहे हैं, मॉरीशस की गीत–गवाई संस्था ने इसे यूनेस्को में पहुँचा दिया है।

भारत के अलावा दुनिया के अन्य कई देशों यथा मॉरीशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद–टोबैगो और नेपाल आदि में बोली जाती हो। चलिए बोली ही सही, वैश्विक स्तर पर बोली जाने वाली सबसे बड़ी बोली तो इसे मानेगें न साहब! वाचिक परंपरा में तो बहुत पहले से है, लिखित साहित्य का इतिहास भी हजार साल पुराना है। लेकिन दुनिया को बताने के लिए और समय के साथ चलने के लिए उसका डिजिटलीकरण जरूरी है।

तो आइए आज भोजपुरी की डिजिटल दुनिया की बात करते हैं।

दो–तीन साल पहले स्पाययर लैब, इंडियन इंस्टिट्यूट आफ साइंस बैंगलुरू और सीएसडीएस नई दिल्ली द्वारा भोजपुरी के डिजिटलीकरण का कुछ काम शुरू हुआ था। भोजपुरी लिखने और बोलने वालों के लिए कमाई का अवसर भी मिल रहा था। भोजपुरी में वाक्य निर्माण के लिए स्थानीय भोजपुरी बोली की कंप्यूटर पर दस्तावेज की भांति सहेजने और इसके बाद आम लोगों के लिए भी डिजिटल दुनिया में भोजपुरी उपलब्ध कराने के मुहिम के रूप में यह काम चल रहा था।

उसी तरह वंश एंटरटेनमेंट भी अपने भोजपुरी भाषी ग्राहकों के लिए कई तरह की सेवाएं, जिसमें कंसर्ट और म्यूजिक वीडियो जैसे लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट से लेकर पेशेवर विज्ञापन सेवाएं हैं, लेकर आया।

साल भर पहले चौपाल नाम का एक भोजपुरी ओटीटी चर्चा में आया। इस नए ओटीटी की शुरुआत पवन सिंह की वेब सीरीज 'प्रपंच' से हुई थी। इसके उद्घाटन पर सांसद अभिनेता मनोज तिवारी ने कहा था कि '' एक समय ऐसा था कि हमारी फिल्में देखने के लिए सिर्फ सिनेमा हॉल ही विकल्प थे और समय के साथ भोजपुरी के तमाम चैनल भी आये, लेकिन भोजपुरी का कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं था जिस पर भोजपुरी की फिल्में और वेब सीरीज देख पाएं, लेकिन अब ओटीटी प्लेटफार्म चौपाल के जरिये 35 करोड़ भोजपुरियों का ये सपना भी पूरा हो रहा है।''

बाकी, यूट्यूब पर तो भोजपुरी छाया ही हुआ है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी यूट्यूब पर शिफ्ट हो गई है। रिल्स से बहुतों का कारोबार चल रहा है। सब लोग डिजिटल होने के लिए उतावले हैं।

लेकिन 20 साल पहले 2003 में ही भोजपुरी का पहला वेबसाइट 'अँजोरिया' आ गया था। 19 जुलाई 2003 को भोजपुरी का पहला वेबसाइट 'अँजोरिया' लेकर आए डॉ ओम प्रकाश सिंह और भोजपुरी के डिजिटलीकरण की राह में अँजोर होना शुरू हुआ। कुछ समय बाद 'भोजपुरी संसार' नाम से नेट पर एक ग्रुप भी शुरू हुआ जिससे बहुत सारे एनआरआई प्रोफेशनल जुड़े। उनमें मैं भी एक था। विनय पांडेय उसके संस्थापक थे। उन्होंने 'भोजपुरी डॉट ओआरजी' नामक वेबसाइट भी बनाई थी। बाद में भोजपत्र नामक एक डिजिटल पत्रिका भी शुरू की, जिसके संपादन का दायित्व मुझे दिया गया था। बात 2006 की है। उस वर्ष मेरे भोजपुरी गजल–संग्रह ' तस्वीर जिंदगी के' के लिए मुझे गुलजार और गिरिजा देवी के हाथों भारतीय भाषा परिषद सम्मान मिला था। बाद में उस पूरी किताब को अंजोरिया ने अपने साइट पर प्रकाशित किया। मेरी जानकारी में नेट पर ( वेबसाइट)

भोजपुरी की यह पहली किताब है।

उस समय अन्य कई भोजपुरी वेबसाइट बने और चर्चा में आए। भोजपुरिया डॉटकॉम, भोजपुरी दुनिया डॉटकॉम, चौरीचौरा डॉटकॉम आदि। बाद में मैना आ जोगीरा भी आइल। अंजोरिया, मैना आ जोगीरा अभी सक्रिय बा।

2003 में जब इंटरनेट पर भोजपुरी आया तो मैंने एक गजल कही। मेरा लिखा यह गजल तब बहुत वायरल हुआ था। भोजपुरी की डिजिटल दुनिया में इस गजल का भी अपना महत्व है –

कइसन–कइसन काम नधाइल बाटे इंटरनेट पर
माउस धइले लोग धधाइल बाटे इंटरनेट पर
सर्च करीं जे चाहीं रउरा घरहीं बइठल–बइठल अब
सबके वेवसाइट छितराइल बाटे इंटरनेट पर.....

मैंने भोजपुरी की हर विधा के लिए एक वर्डप्रेस और ब्लॉगस्पॉट बना लिया था। मेरे अनेक ब्लॉग्स थे सिर्फ भोजपुरी के लिए। 2006 में लंदन शिफ्ट होने के बाद भोजपत्र (डिजिटल वेबजीन) के साथ ही साथ भाई शशि सिंह की वेबसाईट लिट्टीचोखा डॉटकॉम का सम्पादन भी मै कर रहा था। बाद में अपना एक व्यक्तिगत वेबसाईट मनोजभावुक डॉटकॉम भी बनाया।

फिल्म, टीवी सीरियल और गाने तो डिजिटली वायरल हुए और हो ही रहे हैं लेकिन भोजपुरी साहित्य के डिजिटलीकरण को लेकर अब तक कोई ठोस काम नहीं हुआ था। हालाँकि अंजोरिया (वेबसाइट) की कोशिश के बाद भोजपुरी साहित्य के धरोहर के रूप में "भोजपुरी साहित्यांगन" डिजिटलई– लाइब्रेरी का निर्माण एक क्रांतिकारी कदम है।

भोजपुरी साहित्य के मौन और सुधी साधक स्व० शारदानन्द प्रसाद के याद में सन् 2016 में भोजपुरी साहित्यांगन डॉट कॉम डिजिटल ई–लाईब्रेरी की स्थापना की गयी, अभी तक इस लाईब्रेरी में भोजपुरी साहित्य की विभिन्न विधाओं की कुल 1077 किताबें और भोजपुरी साहित्य की विभिन्न पत्रिकाओं के 232 अंक उपलब्ध हैं।

'भोजपुरी जंक्शन' एक डिजिटल पाक्षिक पत्रिका है। सिरिजन'', भोजपुरी तिमाही ई पत्रिका है। महात्मा गांधी विशेषांक, लोक में राम, वीर कुँवर सिंह विशेषांक, राजेन्द्र प्रसाद विशेषांक, कोरोना विशेषांक, जैसे इस पत्रिका के अब तक 50 से अधिक विशेषांक 'भोजपुरी जंक्शन' के निकल चुके हैं। यह सब भोजपुरी के लिए धरोहर है। ऐतिहासिक है। यह शोध की पत्रिका बन चुकी है। इस पत्रिका के प्रधान संपादक पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा और संपादक मनोज भावुक हैं। सिरिजन का प्रथम अंक जुलाई–सितंबर, 2018 में आया था, आज तक निर्बाध रूप से प्रकाशित हो रही है।

इस तरह से भोजपुरी साहित्य, गीत–संगीत और सिनेमा सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। डिजिटल प्लेटफॉर्म बच्चों की पहुँच में है। इसलिए हम कंटेन्ट के रूप में क्या परोस रहे हैं, इस पर ध्यान देने और सतर्क रहने की जरूरत है।

डिजिटल दुनिया और डिजिटल इंडिया पर अपनी कविता की कुछ पंक्तियों से अपनी बात खत्म कर रहा हूँ:–

गाँव से गाँव जुड़ने लगे नेट से
सारे स्कील्स जुड़ने लगे पेट से
ऐप्स के रूप में फोन पर सूचना
अब मोबाइल पे जाने हरेक योजना
बाबा मोदी ने कैसा करिश्मा किया।

# आधी आबादी : आत्मनिर्भरता की राह पर भारतीय महिलाएं'

– मुरली मनोहर श्रीवास्तव
वरिष्ठ पत्रकार

आत्मनिर्भरता के पथ पर भारत को ले जाने में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना उनके भविष्य को तय करता है। यदि कोई अपना निर्णय ले सकता है तो सही मायने में वह पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अनेक मामलों पर हमारा निर्णय निर्भरता की वजह से प्रभावित होता है। आज देश में महिलाओं के उत्थान या उनकी हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने पर खासा बल दिया जा रहा है लेकिन अभी भी कुछ रूढ़िवादी विचार और धर्म के ठेकेदार उनके प्रति संकीर्ण मानसिकता रखे हुए हैं जिस कारण देश दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई और कन्या भ्रूण हत्या के अपराध से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है।

हालांकि इसके लिए महिलाएं भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। अधिकांश घरों में जब लड़के की शादी होती है तब दहेज की और जब किसी घर में लड़की पैदा होती है तब नकारात्मक बातें करने वालों में महिलाएं भी शामिल पायी जाती है। इन समस्याओं का अंत कर भारत की संस्कृति को संभालने के लिए पुरुषों के साथ–साथ महिलाओं को भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी। भारत तबतक सशक्त नहीं बन सकता है, जब तक हर वर्ग के लोग लड़का–लड़की के बीच भेदभाव की संकीर्ण मानसिकता नहीं त्यागते और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' पर अमल नहीं करते।

वास्तव में समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की जितनी अधिक हिस्सेदारी बढ़ेगी आपराधिक घटनाओं में उतनी अधिक कमी आएगी। वैसे समय के साथ महिलाओं के प्रति लोगों की सोच में काफी बदलाव आया है। भारतीय सामाजिक संरचना में महिलाएं काम की तलाश में बाहर नहीं जाया करती थी। इसलिए उनके पास कोई आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी। आज परिस्थितियाँ बदली हैं। महिलाएं घरों से बाहर निकली हैं। सभी क्षेत्रों में नौकरियां कर रही हैं।

निजी क्षेत्रों में कई बार, कई जगहों पर उन्हें आज भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लम्बे समय तक भारतीय पुरुष व महिला खिलाड़ियों को बीसीसीआई द्वारा दी जाने वाली सलाना फीस में भेदभाव था, जिसे 2022 में जाकर दूर किया गया। फिल्म उद्योग में भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की फीस काफी कम है। फिल्म निर्देशन एवं कारपोरेट के प्रमुख क्षेत्रों, जैसी जगहों पर एकाध को छोड़कर केवल पुरुषों का ही वर्चस्व है जो दर्शाता है कि पुरूष प्रधानता के लक्षण अभी भी हमारे समाज में मौजूद हैं।

भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ठीक ही कहा है कि यदि महिलाओं को मानवता की प्रगति में बराबरी का भागीदार बनाया जाए तो हमारी दुनिया अधिक खुशहाल होगी। भारत में महिलाओं की आजादी को लेकर सरकार द्वारा किये जा रहे कल्याणकारी योजनाओं पर सन्तोष जताते हुए कहा है कि इसमें महिलाओं की बढ़ चढ़कर भागीदारी ही उनके उन्नति के रास्ते के द्वार खोलती हैं। आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ईच–वन –टीच –वन, आओ बहनों हाथ बढ़ाओ,कदम से कदम मिलाओ आदि नारों के शोर दशकों से सुना जा रहा है। निःसन्देह ये नारे बहुत अच्छे हैं मगर उन लड़कियों के लिए क्यों नहीं जिनको जहर दिया जा रहा है, मारा जा रहा है।

धर्म,जाति के गठजोड़,रूढ़िवादी व अंधविश्वास ने महिलाओं को शोषित किया है।ऐसे में महिलाओं की आर्थिक सशक्तता बहुत जरूरी है। पैसे के लिए वे अपने घर के पुरुषों जैसे पिता,भाई, पति या पुत्र पर निर्भर करती थी। देश दुनिया में इतने महिला संगठन, स्वयं सहायता समूह, बुद्धिजीवी हैं लेकिन उनकी ओर से ईरान–अफगानिस्तान आदि देशों की बेबस लड़कियों की स्थिति पर कोई विरोध नहीं हो रहा है जो आज नहीं तो कल, किसी न किसी तरह से हाशिये पर खड़ी पाई जा सकती है। सोचना होगा कि यदि लड़कियां हीं नहीं रहेगी तो अंतरराष्ट्रीय दिवस,सिस्टरहुड,लैंगिक समानता जैसे नारे किसके लिए लगाएंगे।

अभी भी समय है आगे आकर आधी आबादी के साथ हो रहे इस अन्याय को रोकने के लिए एकजुट होकर आवाज को बुलंद करना चाहिए। अफगानिस्तान में भी ऐसा होते देखा जा रहा है जहां कट्टरपंथी ताकतें लड़कियों को पढ़ने देना

नहीं चाहती। इसके लिए उन पर तरह–तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। कट्टरपंथी तथाकथित संस्कृति का आवरण ओढ़कर लड़कियों को दोयम दर्जे की जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहे हैं, डरा रहे हैं, भगा रहे हैं और मार रहे हैं। वास्तव में कट्टरपंथियों को लगता है कि वे पढ़–लिख गईं तो हर तरह के अन्याय को चुनौती देने लायक हो जाएंगी।

दुनिया के बहुत से देशों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सरकारें कट्टरपंथी शक्तियों के आगे झुक जाती है और ऐसी घटनाओं पर कोई बयान देने या कार्रवाई करने से बचती है। दुनिया के सामने यह भयावह स्थिति की जानकारी सामने आई है। आज जब ईरान, अफगानिस्तान में महिलाओं को तरह –तरह से सताया जा रहा है तो खुद को भारी प्रगतिशील मानने वाले चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या मानवाधिकार और महिलाओं के अधिकारों के लिए बोलने पर लोगों के नाराज हो जाने पर कोई चुनाव हारने के डर से खतरा मोल लेना नहीं चाहता है? चुप्पियाँ कितनी खतरनाक हो सकती है, यह जानकर भी आखिर सभी क्यों मौन हैं ?

## अभिव्यक्तिः

# ''मैं युवा पत्रकार हूँ''

– **आलोक भारती**
युवा वेब पत्रकार

कैसे कहूँ कि मैं एक पत्रकार हूँ,
जेब में पैसे नहीं पैदल चलने में लाचार हूँ,
हां मैं एक युवा पत्रकार हूँ ।

आज दुसरों के लिए दिन भर भूखा रहकर उनका हक दिलवाता हूँ।
जब माँ सो जाती है तो
देर रात चुपके से सारा काम निपटा के मैं घर जाता हूँ।
समय से पहले जागना देर रात को घर आना ये सब मेरी पहचान है।
सच्चाई लिखने के लिए मेरा जीवन कुर्बान है।
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बचाने के लिए
तैयार हूँ,
हां मैं एक युवा पत्रकार हूँ।

हाथ में कलम, कॉपी और कैमरा यही मेरी जान है,
सच लिखूं तो गोली खाऊं यही मेरा अपमान है।
हां मैं एक युवा पत्रकार हूँ।

जब गरीबों की आवाज को दबाया जाता है
जब उसे बचाने कोई नहीं आता है,
तो मसीहा बनकर जो आता है मैं वही दहाड़ हूँ।
हां मैं एक युवा पत्रकार हूँ।

सरकार की कमियाँ गिनवाना
गरीबों की आवाज बनना ही हमारा काम है।
थोड़ा जिद्दी हूँ पर यही मेरा स्वाभिमान है।
हां मैं एक युवा पत्रकार हूँ।

# सिनेमा :

# जानिए क्या है फिल्म सेंसर बोर्ड



– अनूप नारायण सिंह
वरिष्ठ फिल्म पत्रकार
सदस्य, फिल्म सेंसर बोर्ड, कोलकाता

सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को आम लोग सेंसर बोर्ड के नाम से जानते हैं. यह एक सेंसरशिप बॉडी है जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रलाय के अंतर्गत कार्य करता है.केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या भारतीय सेंसर बोर्ड भारत में फिल्मों, टीवी धारावाहिकों, टीवी विज्ञापनों और विभिन्न दृश्य सामग्री की समीक्षा का अधिकार रखने वाला निकाय है. अर्थात यह उन सभी कार्यक्रमों को सर्टिफिकेट देता है जो जनता के बीच में दिखाये जाते हैं. सेंसर बोर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट दिए जाने के बाद ही फिल्म को रिलीज किया जा सकता है.ब्थ्थ्ब या सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (1 जून, 1983 से सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर के रूप में जाना जाता है) की स्थापना मुंबई में 15 जनवरी 1952 में की गई थी. वर्तमान में मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बैंगलोर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में नौ क्षेत्रीय कार्यालय हैं.किसी भी फिल्म को सर्टिफिकेट मिलने में लगभग 68 दिन का समय मिल जाता है. यह प्रावधान सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के रूल 41 में लिखा गया है. किस फिल्म को कौन सा सर्टिफिकेट दिया जायेगा इसका निर्णय सेंसर बोर्ड के लोगों द्वारा फिल्म को देखने के बाद लिया जाता है.सेंसर बोर्ड का यह प्रयास रहता है कि वह फिल्मों में अश्लील कॉमेडी, अश्लील सॉन्गत, अश्लील सीन्सअ, डबल मीनिंग डायलाग, गाली इत्यादि को ना जाने दे. बोर्ड, यह भी ध्यालन देता हैं कि फिल्म के जरिये किसी विशेष धर्म, समुदाय, वर्ग, आस्थाि आदि पर चोट न की जाए. ताकि समाज की शांति भंग न हो और देश में अराजकता का माहौल पैदा ना हो.सेंसर बोर्ड की संरचना, कार्य और फिल्मों के लिए सर्टिफिकेट जारी करने की शक्ति, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 (अधिनियम 37) के आधार पर मिलती है.केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) वर्तमान में 4 तरह के सर्टिफिकेट जारी करता है. शुरुआत में यह सिर्फ 2 तरह के सर्टिफिकेट जारी करता था लेकिन जून, 1983से इसने यह संख्या बढ़ाकर 4 कर दी है.यह सर्टिफिकेट फिल्मस शुरु होने से पहले दस सेकेंड के लिए दिखाया जाता है। जिनमें U, U/A, A, S कई तरह के फिल्मि सर्टिफिकेट होते हैं.

1. अ (अनिर्बंधित) या U:–इन फिल्मों को सभी आयु वर्ग के व्यक्ति देख सकते हैं. जिन फिल्मों को U सर्टिफिकेट मिलता है उनमें किसी तरह की अश्लील सामग्री, हिंसा और गालियाँ इत्यादि नहीं होती है. अर्थात इस सर्टिफिकेट की फिल्मों को पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता है.

2.अध्व या U/A:–इस श्रेणी की फिल्मों के कुछ दृश्यों मे हिंसा, अश्लील भाषा या यौन संबंधित सामग्री हो सकती है. इस श्रेणी की फिल्में केवल 12 साल से बड़े व्यक्ति किसी अभिभावक की उपस्थिति मे ही देख सकते हैं.

3. व (वयस्क) या A:– A सर्टिफिकेटय उस फिल्म को दिया जाता है जो कि अश्लील होती है और ऐसी फिल्म सिर्फ वयस्क यानि 18 साल या उससे अधिक उम्र वाले व्यक्ति ही देख सकते हैं.

4. वि (विशेष) या S:–यह विशेष श्रेणी है और बिरले ही प्रदान की जाती है, यह उन फिल्मों को दी जाती है जो विशिष्ट दर्शकों जैसे कि इंजीनियर या डॉक्टर आदि के लिए बनाई जाती हैं.ऐसा नहीं हैं कि सिर्फ भारत में बनी फिल्मों के लिए ही सर्टिफिकेट जारी किये जाते हैं बल्कि आयातित विदेशी फिल्मों, डब फिल्मों और वीडियो फिल्मों को भी ये सर्टिफिकेट जारी किये जाते हैं. सामान्य मामलों में डब फिल्मों के लिए सीबीएफसी अलग से कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं करता है.ज्ञातव्य है कि केवल दूरदर्शन के लिए बनायीं फिल्मों के लिए CBFC के सर्टिफिकेट की जरुरत नहीं पड़ती है क्योंकि दूरदर्शन को इस प्रकार के सर्टिफिकेट से छूट प्रदान की गयी है. इसके अलावा दूरदर्शन के पास ऐसी फिल्मों की जांच करने की अपनी प्रणाली है.भारत की फिल्मी दुनिया में हर साल लगभग 1250 से अधिक फीचर फिल्में और लघु फिल्में बनतीं हैं. एक मोटे अनुमान के अनुसार, भारत में हर दिन लगभग 15 मिलियन लोग (13,000 से अधिक सिनेमा घरों में या वीडियो कैसेट रिकॉर्डर पर या केबल सिस्टम पर) फिल्में देखते हैं.वर्तमान में, भारतीय फिल्म उद्योग का कुल राजस्व 13,800 करोड़ रुपये (2.1 अरब डॉलर) है जो कि 2020 तक लगभग 12: की दर से बढ़ता हुआ 23,800 करोड़ रुपये का हो जायेगा. अगर म्यूजिक, टीवी, फिल्म और अन्य सम्बंधित उद्योगों को एक साथ मिला दिया जाए तो इसका कुल आकार वर्ष 2017 में 22 अरब डॉलर था जो कि 2021 तक बढ़कर 31.1 अरब डॉलर हो जायेगा।

# मीडिया :

## पत्रकारिता की शुरुआत, बदलते आयाम और डिजिटल पत्रकारिता

– मंजेश कुमार
कार्यालय सचिव, WJAI

**पत्रकारिता**– विश्व में पत्रकारिता को एक आधार माना जाता है जो कि समाज के हर तबके के लिए आवाज बुलंद करता है। पत्रकारिता एक ऐसा आयाम है जिसके आगे दुनिया के खतरनाक से भी खतरनाक तानाशाह को झुकना पड़ा। माना जाता है कि विश्व में पत्रकारिता की शुरुआत 131 इसवी में रोम में हुआ था। इसी वर्ष विश्व का पहला दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ था जिसका नाम था 'ऐकटा डुरीना' जिसमें पत्थर या धातु की पट्टी पर समाचार अंकित होते थे। जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, नागरिकों की सभाओं के निर्णयों समेत अन्य मुख्य समाचार होते थे। फिर मध्यकाल में व्यापारिक केन्द्रों में सूचना पत्र निकलने लगे जिसमें कारोबार, क्रय–विक्रय और मुद्रा के मूल्यों में उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी होती थी। इस समय में समाचार पत्र हाथों से लिखी जाती थी। आगे चल कर 15 वीं शताब्दी में योहन गुटनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार किया जिसके फलस्वरूप किताबों और अखबारों का प्रकाशन संभव हो सका। 16 वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के स्त्रास्बुर्ग में योहन करोलुस नामक एक कारोबारी हाथ से लिखवा कर सूचना पत्र प्रकाशित करते थे लेकिन यह सूचना पत्र हाथों से तैयार किया जाता था जिसमें समय भी अधिक लगता था और यह महंगा भी था। वर्ष 1605 में उन्होंने छापने की मशीन खरीदी और समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया जिसका नाम था रिलेशन और यह था विश्व का प्रथम मुद्रित समाचार पत्र।

### भारत में पत्रकारिता का आरंभ

भारत में सबसे पहला समाचार पत्र का प्रकाशन 1776 में हुआ जो कि अंग्रेजी में था और यह अखबार ईस्ट इंडिया कंपनी के भूतपूर्व अधिकारी विलेम बॉल्ट्स ने निकाला था। अखबार में मूलतः कंपनी और सरकार की खबरें छपती थी। 1780 में 'बंगाल गजेट' नामक अखबार में स्वतंत्र विचार छपने शुरू हुए। इसके संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। एक बार गवर्नर की पत्नी पर आक्षेप के जुर्म में हिक्की को 4 महीने की जेल और 500 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया था लेकिन वे सरकार की आलोचना से परहेज न कर स्वतंत्र विचार लगातार छापते रहे। वर्ष 1819 में पहली बार भारतीय भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित हुआ और वह था बंगाली में 'संवाद कौमुदी' जिसके प्रकाशक थे राजा राम मोहन राय। फिर 1822 में गुजराती भाषा में अखबार प्रकाशित हुआ और हिंदी में पहला अखबार 'उदंत मार्तंड' नाम से निकाला गया जो कि साप्ताहिक पत्र था और अर्थ के अभाव में यह 1827 में ही बंद भी हो गया। फिर 1830 में राममोहन राय ने हिंदी साप्ताहिक 'बंगदूत' का प्रकाशन शुरू किया और यहाँ से भारत में पत्रकारिता में क्रांति आनी शुरू हो गई। 1833 में भारत में समाचार पत्रों की संख्या 20 हो गई, 1850 में 28, 1953 में 35। इस बीच कई नए समाचार पत्र शुरू हुए और कई बंद भी हो गए। उस वक्त समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में ज्ञान और समाज सुधार की भावना बाँटी जाती थी। लेकिन उस वक्त एक समस्या थी शुद्ध भाषा की। फिर 1846 में राजा शिव प्रसाद ने 'बनारस अखबार' शुरू किया जो शुद्ध हिंदी में था। 1873 से 1900 ईस्वी को भारत का पत्रकारिता का दूसरा युग कहा जाता है। इस दौर में करीब 300 से 350 समाचार पत्र प्रकाशित हुए जिसमें अधिकांश पत्र साप्ताहिक या मासिक थे। वर्ष 1921 से शुरू होता है हिंदी पत्रकारिता का समसामयिक युग, जहाँ हम राष्ट्रीय और साहित्यिक चेतना को साथ–साथ पल्लवित होते हुए पाते हैं। 1921 से गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन जन–जन तक पहुँचा और इसमें पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस समय जो भी पत्र–पत्रिकाएं निकलती उनके सामने अनेक बाधाएं आ जातीं, लेकिन इन बाधाओं से टक्कर लेती हुई हिंदी पत्रकारिता शनैः–शनैः गति पाती गई। 1947 में देश को आजादी मिली। लोगों में नई उत्सुकता का संचार हुआ। औद्योगिक विकास के साथ–साथ मुद्रण कला भी विकसित हुई जिससे पत्रों का संगठन पक्ष सुदृढ़ हुआ। रूप–विन्यास में भी सुरुचि दिखाई देने लगी। आजादी के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में अपूर्व उन्नति होने पर

भी यह दुःख का विषय है कि आज हिंदी पत्रकारिता विकृतियों से घिरकर स्वार्थसिद्धि और प्रचार का माध्यम बनती जा रही है। परन्तु फिर भी यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय प्रेस की प्रगति स्वतंत्रता के बाद ही हुई। यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर पत्रकारिता ने पर्याप्त प्रगति कर ली है किन्तु उसके उत्कर्षकारी विकास के मार्ग में आने वाली बाधाएं भी कम नहीं हैं। 1921 ई. के बाद साहित्य बहुत कुछ पत्रपत्रिकाओं से स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, परंतु फिर भी विशिष्ट साहित्यिक आंदोलनों के लिए हमें मासिक पत्रों के पृष्ठ ही उलटने पड़ते हैं। राजनीतिक चेतना के लिए तो पत्रपत्रिकाएँ हैं ही। 90 के दशक में भारतीय भाषाओं के अखबारों, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में कई हिंदी अखबारों के नगरों–कस्बों से कई संस्करण निकलने शुरू हुए। जहाँ पहले महानगरों से अखबार छपते थे, भूमंडलीकरण के बाद आयी नई तकनीक, बेहतर सड़क और यातायात के संसाधनों की सुलभता की वजह से छोटे शहरों, कस्बों से भी नगर संस्करण का छपना आसान हो गया। साथ ही इन दशकों में ग्रामीण इलाकों, कस्बों में फैलते बाजार में नई वस्तुओं के लिए नये उपभोक्ताओं की तलाश भी शुरू हुई। हिंदी के अखबार इन वस्तुओं के प्रचार–प्रसार का एक जरिया बन कर उभरा है। साथ ही साथ अखबारों के इन संस्करणों में स्थानीय खबरों को प्रमुखता से छापा जाता है। इससे अखबारों के पाठकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। मीडिया विशेषज्ञ सेवंती निनान ने इसे 'हिंदी की सार्वजनिक दुनिया का पुनर्विष्कार' कहा है। वे लिखती हैं, "प्रिंट मीडिया ने स्थानीय घटनाओं के कवरेज द्वारा जिला स्तर पर हिंदी की मौजूद सार्वजनिक दुनिया का विस्तार किया है और साथ ही अखबारों के स्थानीय संस्करणों के द्वारा अनजाने में इसका पुनर्विष्कार किया है। इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी लोगों के बीच अपनी जबरदस्त पैठ बनाई और लोगों तक खबर पहुँचना और भी तेज हो गया। इसी दौर में लोगों तक खबरें जल्दी पहुंचाने की एक होड़ सी शुरू हो गई और इसके लिए नए नए तकनीक इजाद किये जाने लगे। पहले लोगों तक समाचार पहुँचाने के मात्र दो साधन थे अखबार और टीवी। टीवी के माध्यम से लोग खबरें उसी दिन देख लेते थे जिस दिन की है लेकिन इसमें एक खामी थी की हर स्थानीय खबरों को जगह नही मिल पाती थी। इसलिए लोगों को स्थानीय खबरों के लिए अखबारों का ही सहारा लेना पड़ता था जो कि लोगों को अगले दिन मिल पाता था। धीरे धीरे देश में इंटरनेट और कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ने लगा। फलस्वरूप लोगों तक जल्दी खबरें पहुँचाने की होड़ ने एक नया रूप ले लिया और शुरू हो गया डिजिटल पत्रकारिता जिसके माध्यम से लोगों को चंद समय में ही आसपास की हर खबरें मिलने लगी। आज के समय में बड़े मीडिया घराने जो प्रिंट और टीवी क्षेत्र में अव्वल हैं वह भी डिजिटल पत्रकारिता का अनुसरण करने लगे हैं और अपनी खबरों को और भी तेजी से लोगों तक पहुँचाने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग करने लगे। लेकिन डिजिटल मीडिया के इस दौर में पत्रकारिता ने अपना एक नया स्वरूप तो पाया लेकिन इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। हालांकि इसमें सुधार के लिए सरकार भी प्रयासरत है लेकिन डिजिटल मीडिया में भीड़ इतनी बढ़ गई है कि अंकुश लगाना मुश्किल जान पड़ता है। और फिर जरूरत पड़ी ऐसे संगठनों की जो डिजिटल मीडिया को नियम और कानून में बाँध सके और मीडिया की सत्यता और विश्वसनीयता पर बनी रहे। इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर देश में पहली बार एक संगठन वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की नींव पड़ी। इसे भारत सरकार की सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के रूप में स्वीकार किया। जो डिजिटल पत्रकारिता के लिए नियम कायदे को सख्ती से अपने सदस्यों पर लागू करती है और इसका ख्याल रखती है कि पत्रकारिता के नए आयाम और नए स्वरुप के दौर में इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े न हों।

# मीडिया :

## वेब मीडिया का भविष्य बेहतर है, लेकिन पत्रकारिता समाज का भरोसा जीतने वाली हो

**– मनोकामना सिंह,**
राष्ट्रीय संयुक्त सचिव,
(डबल्यूजेएआई)

डिजिटल इंडिया में वेब मीडिया का तेजी से प्रसार एक वरदान के रुप में सामने आया हैं, लेकिन इसके खट्टे–मीठे अनुभव नई सीख के साथ बदलाव की दिशा में जाने की जरुरत भी है। जिस प्रकार से पाठकों को बिना सिर पैर वाली शीर्षक के साथ खबरे परोसी जा रही हैं, उससे भी वेब मीडिया से लोगों का विश्वास दरक रहा है, वहीं पत्रकारों का सम्मान भी घट रहा है। सीधे शब्दों में यदि अखबार को रफ हिस्ट्री कहूँ तो डिजिटल मीडिया का मौजूदा स्वरूप ही 'भविष्य' बनेगा, तो फिर उसके विश्वसनीय होने की संभावना कम है। जहाँ आज डिजिटल युग में समाज खड़ा है, अगर वहाँ से पीछे मुड़कर देखूं तो आपको वो दौर नजर आता है जब पत्रकार जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग पर ही केवल विश्वास किया करते थे। एक सामान्य खबर के लिए भी मौके पर जाया जाता था और तब तक उस खबर पर नजर रखी जाती थी जब तक कि वो अपने अंजाम तक न पहुँच जाए। जबकि संसाधनों की सुलभता आज जैसी नहीं थी, लेकिन घर और ऑफिस बैठे–बैठे फोन पर पूरी खबर ले लेना तब भी संभव था। इसके बावजूद पत्रकार मौके पर खबरों के लिए जाते थे जिससे पुष्ट खबर के साथ–साथ पत्रकार के तौर पर हमारी सम्मानजनक पहचान बनती थी। वही आज की आधुनिक डिजिटल मीडिया की पत्रकारिता काफी हद तक कॉपी–पेस्ट पर निर्भर है। कई धुरंधर पत्रकार भी घर, ऑफिस बैठे–बैठे खबरों को कॉपी कर प्रसारित करते रहते हैं। डिजिटल सुविधा का डिजिटल तरीके से लाभ पर आधारित रिपोर्टिंग उन तमाम पाठकों–दर्शकों के साथ भी धोखा है, जो आपसे ईमानदारी से काम करने की आस लगाए बैठे हैं। फोन पर आपको केवल वही सुनने को मिलेगा जो सुनाया जा रहा है, मगर ग्राउंड पर आप वो भी देख–समझ पाएंगे जो शायद दूसरे न देख पाएं।

दूसरी बात जो मैं यहाँ रखना चाहता हूं वो है कि डिजिटल मीडिया को पत्रकारिता का भविष्य कहा जा रहा है। जिस तेजी से हम टेक्नोलॉजी सेवी हो रहे हैं, वे आधुनिकता का परिचायक तो है, लेकिन यदि डिजिटल यानी मीडिया का मौजूदा स्वरूप ही 'भविष्य' बनेगा, तो फिर उसके उज्ज्वल होने की संभावना बेहद कम है। मैं पिछले 8 सालों से वेब मीडिया से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए उसकी बारीकियों को समझा हूँ और यह भी खुले तौर से स्वीकार करता हूँ कि वेब मीडिया की सर्व व्यापी स्वीकार्यता के लिए उसमें बड़े पैमाने पर ईमानदारी बरतने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सभी वेब मीडिया में खराब ही कर रहे हैं, सीमित संख्या में ही सही बहुतेरे बेहतर कर रहे हैं। मेरा मनाना है कि हिंदी भाषियों के लिए डिजिटल मीडिया पर काफी कंटेंट मौजूद है, लेकिन उसे परिष्कृत करने की जरूरत है। खबर कुछ और शीर्षक कुछ कर आप पाठकों का भरोसा नहीं जीत सकते। खबरों की गंभीरता को समझते हुए समाज पर उसके प्रभाव को ध्यान में रखकर प्रसारित करना होगा। डिजिटल पत्रकारिता आज उसी दौर से गुजर रही है, जहाँ एक को लेकर पूरे वेब जर्नलिज्म का उपहास उड़ाया जाता हैं और इसे जान सुन इस दौर के कई अच्छे–अच्छे वेब जर्नलिस्ट बेबस नजर आते हैं। हिंदी वेब मीडिया पत्रकारिता के लिए एक बेहतर भविष्य है, लेकिन जब हमारी तैयारी समाज का भरोसा जितने वाली हो। जब हम यह समझ सकें कि दौड़ में आगे रहना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है पत्रकारिता को जीवंत रखना, क्योंकि पत्रकारिता जीवंत रहेगी, तभी समाज और आप का इतिहास गवाह बनेगा।

# मीडिया :

## दैहिक विकृति का जहर उगलता डिजिटल मीडिया

– सूरज कुमार
अध्यक्ष, पटना जिला
शाखा वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएश ऑफ इण्डिया

डिजिटल मीडिया का समाज और संस्कृति पर काफी व्यापक और जटिल प्रभाव पड़ा है।इंटरनेट और व्यकिगत कम्प्यूटिंग के साथ डिजिटल मीडिया ने प्रकाशन,पत्रकारिता, जनसम्पर्क, मनोरंजन, शिक्षा, वाणिज्य और राजनीति में विघटनकारी नवाचार किया है।डिजिटल मीडिया अक्सर प्रिंट मीडिया जैसे मुद्रित पुस्तकों, समाचार पत्रो, पत्रिकाओं और अन्य पारम्परिक या एनालॉट मीडिया जैसे फोटोग्राफिक फ़िल्म,ऑडियो टेप या वीडियो टेप के विपरीत होता है।

डिजिटल मीडिया कोई भी संचार का माध्यम है जो विभिन्न एनकोडेड मशीन, पठनीय डेटा स्वरूपों के साथ काम करता है। लगभग 63 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स के साथ भारत जैसे देश में सरकार का चिंतित होने लाजिमी है।यह समझने की आवश्यकता है कि करोड़ो फेसबुक खातों पर लोग अपने निजी,राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को धड़ल्ले से रख रहे हैं।यूट्यूब चैनलों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है।ऐसे में जब ट्विटर जैसा प्लेटफार्म दुनिया के सबसे ताकतवर शासक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट को हाइड कर सकता है तो भारत जैसे देश को परिपक्व होते देखने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री चन्द्रशेखर ने कहा है कि डिजिटल मीडिया में विज्ञापनों की ताकत बढ़ी है।विज्ञापन से होने वाली आमदनी और मुद्रीकरण ने पूरे तंत्र में असंतुलन पैदा किया है।छोटे समूहों और डिजिटल सामग्री बनानेवाले लाखों लोगों को इससे नुकसान हो रहा है।आस्ट्रेलिया के पूर्व संचार मंत्री पॉल फ्लेचर ने कहा है कि अभी डिजिटल सामग्री बनाने वालों का कंटेंट के मुद्रीकरण पर नियंत्रण नहीं है।कंटेट से होने वाली कमाई को लेकर उनकी जरूरतों और बड़ी टेक कम्पनियों के पास जो ताकत है उसे लेकर विषमता और असन्तुलन है।

इंटरनेट पर पक्षपात और गलत खबरें सही और सटीक समाचारों की तुलना में बहुत तेजी से फैलती है।यह सरकार ही नहीं बल्कि

उपभोक्ताओं के लिए भी चुनौती है।आज भारत में 80 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं।यह दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा है।2025-26 तक हो सकता है कि देश में 100 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़ जाएगा।इंटरनेट भी अब बदल चुका है।भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक उपकरण, क्लाउड, डिजिटल इकोनॉमिक जैसे क्षेत्रों के के जरिए भारत में इंटरनेट का विकास होगा।

इंटरनेट के करोड़ों उपभोक्ताओं के प्रति जबाबदेही किसकी होगी यह बहुत बड़ा सवाल है।भारत सरकार ने 104 यूट्यूब चैनल्स सहित कई वेबसाइट को बैन कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा है कि देश के खिलाफ मुहिम चलाने वाले और समाज में भ्रम एवं भय फैलाने को लेकर यूट्यूब 104 के साथ ट्विटर के 5 अकाउंट और 6 वेबसाइट के खिलाफ आई टी कानून के तहत कार्रवाई की गई है। डेलीहंट, हेलो, यूसी न्यूज, ओपेरा न्यूज, न्यूज डॉग आदि चीनी या विदेशी नियंत्रण वाले डिजिटल मीडिया है। ये भारत के हितों को चोट पहुंचा सकता है।पाठकों की रुचि में भी बदलाव आ रहा है।वे लंबे चौड़े असलेखों को पसंद नहीं करते।खोज,संचार, सोशल नेटवर्किंग और वीडियो जैसे माध्यमों में उनका अधिक समय जा रहा है, लिहाजा विज्ञापन भी ज्यादातर उसी दिशा में बह रहे हैं।

सरकार की माने तो उसकी चिंता वेब न्यूज पोर्टल,चैनल या यूट्यूब के प्रति ज्यादा है।सरकारी तंत्र का मानना है कि ऐसे चैनल को बिना किसी पंजीकरण या अनुमति के शुरू किया जा सकता है।ये खतरनाक तरीके से राष्ट्रीय सम्प्रभुता की नुकसान पहुंचा सकते हैं।सोशल मीडिया हमलावर सेना की सबसे संघातिक टुकड़ी है क्योंकि इसमें हमलावर अदृश्य, अराजक और अनियंत्रित है।

राष्ट्रीय विधि आयोग भारतीय वाणिज्य एवं उद्दोग मंडल जैसी संस्थाओं ने सोशल मीडिया पर प्रभावी नियंत्रण की सलाह दी थी।एसोचैम ने मेट्रो शहर दिल्ली,मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे,बंगलोर में 235 परिवारों परर सफल सर्वेक्षण किया था।करीब 80% प्रतिभागियों ने स्वीकार किया था कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की अपेक्षा परिवार के युवा सदस्य सुबह से हीन विभिन्न सोशल मीडिया साइटों पर जुड़े रहते हैं।

सोशल मीडिया पर नियंत्रण की बात दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रक्षा एवं राजनीतिक अध्धयन के

विभागाध्यक्ष प्रो0 हर्ष कुमार सिन्हा के शोधपत्र में किया गया है।यह शोध साल 2018 में नॉन ट्रेशीनल सिक्योरिटी चैलेंजेज नामक पुस्तक में प्रकाशित हो चुका है।शोध में प्रो0 सिन्हा ने देश-विदेश की तमाम घटनाओं का उल्लेख करते हुए सोशल मीडिया के खतरों के प्रति आगाह किया है।उन्होंने कहा था कि सामाजिक विद्वेष फैलाने में सोशल मीडिया काफी आगे है।इसलिए उन्होंने डिजिटल जहर पर नियंत्रण की सलाह दी थी।उन्हों यह भी कहा है कि मीडिया केवल सूचना और मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि हमलावर सेना की भूमिका अदा कर रहा है।

साल 2018 के शोधपत्र के आंकड़ों के अनुसार टीवी देखने वाले दर्शकों का ध्यान स्मार्टफोन, टैब की तरफ जा रहा है।नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजॉन जैसे कि विकल्प हैं जो युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं।अब 70 करोड़ लोग टीवी देख रहे हैं।फेसबुक इस्तेमाल में भारत पहले स्थान पर है।भारत में 24 करोड़ से ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल करने वाले लोग हैं।आज दुनिया में करीब 250 करोड़ यूजर्स हैं।जबकि वर्ष 2018 में 20 करोड़ यूजर्स थे।

शोधपत्र में कुछ अहम घटनाओं का जिक्र है।सोशल मीडिया पर 2009 को इस्लामाबाद डेली मेल में छपी इस खबर की हेडलाईन थी रॉ ने भारतीय सेना के पास वेश्याएँ भेजी।भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की पाकिस्तान की रणनीति का सबूत 2017 में आई एक फेक न्यूज है।दो मिनट के के इस वीडियो से भारतीय मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की गई है।2015 में राज्यसभा में एक लिखित जबाब में गृह राज्यमंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी ने बताया था कि देश में नफरत फैलाने के लिए ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल और ब्लॉग के दुरूपयोग के कई कारण सरकार की जानकारी में आये हैं।भागलपुर दंगों के 26 वर्ष बाद पेश हुई जांच आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सोशल मीडिया दंगों का नया लॉच पैड बन रहा है।भारत में आईएस का ट्विटर एकाउंट चलाने वाले मेहंदी मसरूर बिस्वास की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार अजित डोभाल ने इस विषय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपकर कई उपाय सुझाये थे।

डिजिटल मीडिया में अफवाह और दुष्प्रचार रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रेगुलेटर का कानून लेन का सुझाव दिया।केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए गाइडलाइंस बनाई है।

# मीडिया :

## पत्रकरिता पर महत्त्वपूर्ण लोगों के विचार

संकलन – विवेक कुमार

पत्रकारिता विज्ञान की तरह होनी चाहिए. जहाँ तक संभव हो, तथ्यों का सत्यापन किया जाना चाहिए. यदि पत्रकार अपने पेशे के लिए दीर्घकालिक विश्वसनीयता चाहते हैं, तो उन्हें उस दिशा में जाना चाहिए.

-जूलियन असांजे

एक पत्रकार की पहली निष्ठा जनता के प्रति होनी चाहिए. और स्वतंत्र रहना चाहिए. किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत, दलों, संगठनों के दबाव में नहीं आना चाहिए. बल्कि सच्चाई को उजागर करना चाहिए.

- डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति

लोकतंत्र की सफलता या विफलता उसके पत्रकारिता पर आधारित रहता हैं.

- स्कॉट पेली

“News is what someone wants suppressed. Everything else is advertising. The power is to set the agenda. What we print and what we don't print matter a lot.”

- Katharine Graham

We don't go into journalism to be popular. It is our job to seek the truth and put constant pressure on our leaders until we get answers.

-Helen Thomas

पत्रकारिता, लोकतंत्र को बनाए रखती है. यह प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन के लिए ताकत है.

- एंड्रयू वॉक्स

Sudha

Milk and Milk Products

वादा शुद्धता का

## An Untold Saga of Redefining Bihar's Dairy Landscape over 4 Decades

Founded in 1983, Bihar State Milk Co-Operative Federation Ltd. (COMFED), established as an implementing agency of the Operation Flood program has aimed at reinventing processes and value-chain passed on from dairy producers to consumers. This has not only ensured the availability of quality milk and milk products to customers but also the creation of a self-reliant and vibrant rural economy in Bihar. COMFED ranks 6th among Milk Co-Operatives in India, on the basis of average procurement of 22 lakh kgs per annum of milk per day through 13.8 lakh milk producers from about 28,700 villages level Dairy Co-Operatives societies.

COMFED's success is derived from its strong technical input programme aimed at reducing cost of milk production through quality feed, Artificial Insemination and Productivity Enhancement and Better Health of Cattle.

Under the brand name "SUDHA", COMFED has developed market in Bihar, Jharkhand, North East, UP, West Bengal and Delhi-NCR. It has 67 products in its basket with 186 pack sizes.

Spanning Over 4 Decades
8 Milk Unions

13.8 lakh Milk Producers
Around 22 lakh litres of Milk Procured per Day

35 Lakhs children get milk through ICDS

28,700 Dairy Co-Operative Societies
15000 Members trained per Year

Over 67 di□erent Milk & Milk Products with more than 186 SKU's
Around 30,207 retail Network

COMFED

Bihar State Milk Co-operative Federation Ltd.

PO-B.V. College, Patna - 800 0014, Bihar, India E-mail : comfed.patna@gmail.com

Toll Free No. : 1800 3456 199 I www.sudha.coop

अपने क्षेत्र में देश का प्रथम मान्यता प्राप्त संस्थान

स्थापितः 1990

## नामांकन सूचना

# इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एडुकेशन एण्ड रिसर्च

Health Institute Road, Beur, Patna - 2

(Recognised by the Govt. of Bihar, RCI, IAP & ISPO)

## बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सम्बद्ध

**निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक सत्र : 2023 – 24 में नामांकन प्रारंभ है**

Please visit: www.iiher.com, Mob.: 9264459295, 7070096603, 9709999603, 9431016169

## उपलब्ध पाठ्यक्रम

| पाठ्यक्रम का नाम | | पात्रता |
|---|---|---|
| MPT | मास्टर ऑफ फिजियोथेरापी | BPT |
| BPT | बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी | I.Sc. (Bio) |
| B.OPHTH. | बैचलर ऑफ आफ्थेल्मोलॉजी | I.Sc. (Bio) |
| BASLP | बैचलर ऑफ आडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी | I.Sc. |
| BMLT | बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी | I.Sc. (Bio) |
| BMRIT | बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी | I.Sc. |
| D.Ed. (Spl.Edu.) | डी. एड. स्पेशल एजुकेशन ( एच.आई. ) | 10+2 |
| DPT | डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी | I.Sc. (Bio) |
| D-X-Ray | डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नोलॉजी | I.Sc. (Bio) |
| DMLT | डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी | I.Sc. (Bio) |
| DOTA | डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट | I.Sc. (Bio) |
| DECG | डिप्लोमा इन इ.सी.जी. | I.Sc. (Bio) |
| CMD | सर्टिफिकेट इन मेडिकल ट्रेसिंग | Matric |
| लेटेरल इन्ट्री / एब्रीज्ड डिग्री | | पात्रता |
| ABPT | बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी एब्रीज्ड | DPT |
| BMLT (LE) | बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एल.इ. | DMLT |
| B.OPTH. (LE) | बैचलर ऑफ आफ्थेल्मोलॉजी एल.इ. | D.OPHTH. |
| BMRIT (LE) | बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी एल.इ. | D.X-Ray |

# PATLIPUTRA VIDYAPEETH

Affiliated to CBSE, New Delhi

Health Institute Road, Beur, Patna - 2

## ADMISSION OPEN UPTO STD. XI

**Special features:-**

- Well stocked library
- Fully Wi- fi campus
- Transport facility
- swimming pool
- Indoor & outdoor Games facilities
- Smart Class Rooms
- Remedial classes for slow learners
- Bio Lab., Physics Lab., Chemistry Lab., Computer Lab
- Whole campus under CCTV surveillance

**Contact:- 7488412808 / 8340421475 / 9264459295 / 9386745004**

डॉ. अनिल सुलभ

# श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एण्ड पारा मेडिकल इंस्टीच्यूट

## स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त

## पारा मेडिकल कोर्स 2023 में नामांकन जारी

उत्तम संस्थान–जिसका अपना अस्पताल, हॉस्टल एवं कॉलेज कैम्पस

(संस्थान द्वारा प्रदत्त सर्टिफिकेट देश–विदेश में मान्य है।)

Reg. No. 9064
AF No. P.M.-437(1)

आवेदक (10th या 10+2 Bio) मिलें या इस पते पर संपूर्ण जानकारी के साथ आवेदन करें।

सत्र 2023–24 हेतु रजिस्ट्रेशन जारी

- BPT
- BOT
- BOCPT
- BMLT

- (DPT) फिजियोथेरापी
- (DMLT) प्रयोगशाला सहायक
- (DOT) ओ.टी. सहायक
- (X-Ray) एक्स–रे सहायक
- (CMD) ड्रेसर

## श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, मीठापुर बस स्टैंड रोड, पटना

Recognised by, Bihar Nurses Registration Council, Patna
Affiliated by Govt. of Bihar
Department of Health

### कोर्स – ANM/GNM नर्सिंग

अवधि 3.5 साल

इंटर पास युवक–युवतियों के लिए स्वर्णिम अवसर

### डॉ. एन.पी. प्रियदर्शी

(निदेशक)

Surgeon, MS (RGU) Banglore

H.O. बस स्टैंड, जनक्कनपुर थाना के पास, पटना–1

9162413233, 0612-2360081

# वेब मीडिया समिट 2023 और
# वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया को
# हार्दिक शुभकामनाएँ

## दीपिका सिंह

उपाध्यक्ष बिहटा नगर परिषद्

**M/F. By : SATYAM FOODS**

NH-30, GOKULPUR, BIHTA, PATNA-801103 9060307740

*Amardeep Jha Gautam*
Founder - Director

*Congratulations to*
**ELITEANS...**

**Rocked in 2023**
**JEE-main- 221**
**NEET-86**
**JEE-Adv.- 42**

ELITE Integrated-NEET 2023
(Two-years classrooms)
**Topper : Shivraj Paul**

**Year 2020**
JEE-main : 182
JEE-Adv. : 33
NEET : 74

**Year 2021**
JEE-main : 186
JEE-Adv. : 32
NEET : 79

**Year 2022**
JEE-main : 203
JEE-Adv. : 36
NEET : 82

*Feel the Innovation in Education...*
**ELITE Institute©**
JEE (Main & Adv.) / NEET(PMT) / NDA / Found.(XI & XII)
An ISO 9001 : 2008 Certified Institute

*STUDY - CENTRES :* PATNA | VARANASI | NAGPUR | BEGUSARAI | DELHI
PATNA - CENTRE : Jagdamba Tower, Sahdeo Mahto Marg, BORING ROAD, PATNA-1
9939665084, 9835441003 Help-Line : 9123225217

Ph.: 7209196777
spihs00111@gmail.com

# St. PAUL's
# INTERNATIONAL HIGH SCHOOL
## Nursery to Std. 10+2
## English Medium, Co-Education.
## With Hostel Facility
People's Co operative colony , Opp. Ganga Devi College , Kankarbagh, Patna - 800020.

# LADDU GOPAL SUPER MART

बाजार से सस्ता सब कुछ

Free Home Delivery
Below 1 KM

GROCERY
PERSONAL CARE
HOME CARE

B.K. Market Vijay Nagar, Near Shiv Mandir, Patna
Mob. : 9155099050, 7033443214

# HOT & SPICY

.....JUST WOW

- Restaurant
- Banquet & Conference
- Home Delivery
- Outdoor Catering

Free Home Delivery

Call : 7033296666

Banquet & Conference :
50 pax to 125 pax

Minimum order 400- only

Timing : 12.00 Noon to 10.30 P.M.

Raghunath Lakhan Mall, Near R.P.S. More Bailey Road, Patna - 801503

वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (**WJAI**) द्वारा आयोजित
वेब मीडिया समिट 2023 और इसमें शिरकत कर रहे
माननीय अतिथियों, देश की पत्रकारिता को दिशा देने वाले
सशक्त हस्ताक्षरों, संगठन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों का
पाटलिपुत्र की पावन धरती पर

## हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन –

# राजू कुमार उर्फ राजू दानवीर

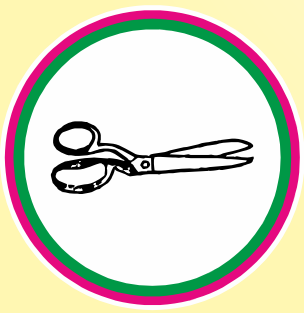

## प्रदेश अध्यक्ष
## जन अधिकार युवा परिषद्
## बिहार, पटना

# HOTEL AMITANSH

More Than Just A Hotel

## Address

**Branch - I :** In front of Rajendra College, New Warehouse Colony, Gudri, Chapra-841301 (Bihar)

**Branch - II :** Lah Bazar, Salempur, Chapra, Saran-841301 (Bihar)

E-mail : info@hotelamitansh.com
booking@hotelamitansh.com

Veg-Non-Veg Restaurant
& Street Food

## Our Features

* Standard A/C Rooms * Attached Bathroom * 24 Hrs Hot/Cold Running Water * Free WiFi / Parking * Multi Cuisine Restaurant (Indian, Continental, Chinese, Tandoor,) * Doctor on Call * Laundry * Banquet * Rooftop * Swimming Pool * Live Singing Music in Restaurant * Power Back up * Room Service Facility * Modern Room with amenities * Smart Television * All major Credit card accepted

**Tollfree : 1800 270 1399**
**Website : www.hotelamitansh.com**
**Mobile : 9304877714, 9852393712**

www.vvit.org vidyaviharit@gmail.com

# VIDYA VIHAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Industrial Growth Centre, Maranga, Purnea, Bihar - 854301

**UPTO Rs 400000/-**

FINANCIAL ASSISTANCE PROVIDED THROUGH BIHAR STUDENT CREDIT CARD SCHEME

Admission Helpline : +91 844 844 8730 www.vvit.org

## B.Tech
## BBA
## BCA

Approved by AICTE, New Delhi

Qualified & Experienced Faculty

Excellent Campus Placement

- Impressive Infrastructure
- Well Equipped Labs
- Separate Hostel Facilities For Boys & Girls
- Serene And Green Campus

- Vidya Vihar Institute of Technology is an ISO 9001: 2015 certified institution.
- Courses runs under approval of All India council for technical Education (AICTE), New Delhi.
- B.Tech Affiliated to Bihar Engineering University, Patna
- BCA and BBA Affiliated to Aryabhatta Knowledge University (AKU), Patna

Online Application at - https://vvit.nopaperforms.com **Admission & Registration Open**

---

**4th Consecutive Year of success of VVRS Alumni in UPSC**

Shubham
17th Batch, VVRS

**All India 41st Rank UPSC 2022**

Times Excellence In Education Bihar 2022

EducationWorld India School Ranking 2022-23: Co-Ed Boarding

**26+** Years of Imparting Knowledge

CBSE Affiliation No. 330061

Affiliation upto +2

**Apply Now- www.vvrs.org**

Admission Helpline-
844 844 8720
7979062808

CBSE Affiliation No. 330061. Affiliation upto +2

# VIDYA VIHAR RESIDENTIAL SCHOOL

Parora, Purnea, Bihar, India

Web- www.vvrs.org email- vidyavihar@gmail.com

**ADMISSION OPEN for class 4 to 8 and 11**

# RUBAN GROUP OF HOSPITALS

RUBAN redefining healthcare.....
(बिहार का अपना अस्पताल)

**Ruban Memorial Hospital**
17, Patliputra Colony, Patna

**Ruban Memorial Hospital**
19, Patliputra Colony, Patna

**Ruban Hospital for Women & Children**
Gandhi Maidan Road, Patna

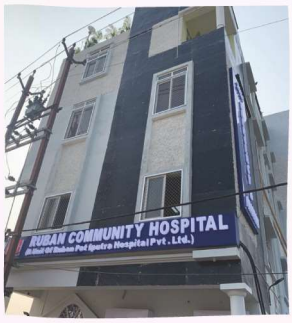




**Ruban Community Hospital**
Panditpur, Rajgir

## रुबन में उपलब्ध इलाज एवं सुविधाएँ :

हृदय रोग

मूत्र सम्बंधित रोग

किडनी सम्बंधित रोग

कैंसर रोग

न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी

जनरल मेडिसिन

स्त्री एवं शिशु सम्बंधित रोग

जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी

पेट एवं आंत सम्बंधित रोग

हड्डी सम्बंधित रोग

फेफड़ा और लिवर सम्बंधित रोग

किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा

## 24X7 इमरजेंसी की सुविधा

- Radiodiagnostic including CT & MRI
- Laboratory Services
- Pharmacy Services
- Blood Bank

हमारे यहाँ TPA/Insurance के द्वारा कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है|

RUBAN MEMORIAL HOSPITAL, PATLIPUTRA COLONY, PATNA | CALL: 06122271020, 06122271021

NABL NABH


वेब मीडिया समिट 2023 पर वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित